



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14062021-227595
CG-MH-E-14062021-227595

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 227]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 19 मई 2021

सं. टीएमपी/29/2021—डीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, दीनदयाल पत्तन में पीपीपी मोड के अधीन डीबीओटी आधार पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दीनदयाल पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/29/2021—डीपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मई, 2021 के 13वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन में पीपीपी मोड के अधीन डीबीओटी आधार पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

- 2.1. डीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 मार्च 2021 द्वारा उपर्युक्त विषय पर पहले प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चूंकि पूर्व प्रस्ताव दिनांक 23 मार्च 2021 में नीचे दी गई सूचनाएं नहीं थीं, इसलिए डीपीटी से हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण के साथ नया प्रस्ताव दाखिल करने के लिए हमारे पत्र सं. टीएमपी/21/2021-डीपीटी दिनांक 5 अप्रैल 2021 द्वारा अनुरोध किया गया था।
- 2.2. तदनुसार, डीपीटी ने अपने पत्र सं. एमएस/डब्ल्यूके/4030-IV/पीपीपी (प्रशुल्क)/जिम-356 दिनांक 28 अप्रैल 2021 के कवर के अधीन अपने ईमेल दिनांक 28 अप्रैल 2021 द्वारा, नया प्रस्ताव दाखिल किया था और हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण भी भेजा था।
- 2.3. मौजूदा डीपीटी प्रस्ताव से संबंधित मुख्य बिन्दु जिसपर इसके पूर्व प्रस्ताव दिनांक 23 मार्च 2021 के संबंध में डीपीटी से स्पष्टीकरण मांगा गया था और उसपर इसके पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2021 द्वारा डीपीटी का वर्गीकरण नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	उसपर डीपीटी का उत्तर
(i).	डीपीटी स्वतः ही संतुष्ट हो कि क्या 11 वर्ष/6 वर्ष पहले निर्धारित प्रशुल्क अभी भी नई परियोजना के लिए भी वैध हो सकता है, जबकि प्रशुल्क को सूचकांकन के साथ अद्यतन किया गया है। इस संबंध में पुष्टि भेजें।	पर्यवेक्षण "11/6 वर्ष पहले निर्धारित प्रशुल्क" के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 अन्य परियोजना के लिए संदर्भ लेने हेतु प्रशुल्क के अनुमोदन के बाद कोई प्रतिबंधित नहीं करता है/समय अवधि विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं।
(ii).	डीपीटी यह स्पष्ट करे कि कैसे साफ कार्गो अर्थात् खाद्यान्न को उसी सुविधा में प्रहस्तित करने का प्रस्ताव कैसे किया जा सकता है जहां धूलपूर्ण कार्गो अर्थात् उर्वरक प्रस्तावित अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के माध्यम से प्रहस्तित किए जाते हैं।	उर्वरक एक मौसमी कार्गो है अर्थात् वर्षभर उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, लीन मौसम अवधि (जनवरी से अप्रैल) के दौरान, इस सुविधा का परियोजना के लिए भावी बोलीदाताओं के प्रश्नों के अनुसार प्रभावी उपयोग के लिए जलयान अनलोडर, होपर आदि से खाद्यान्न प्रहस्तन हेतु उपयुक्ततः उपयोग किया जा सकता है। सामान्य मौसम के दौरान भी, यह सुविधा विभिन्न प्रकार के उर्वरक जैसे यूरिया, एमओपी, डीएपी का प्रहस्तन किया जा सकता है और कार्गो चेंजओवर के लिए प्रणाली की पर्जिंग तथा सफाई गतिविधि के बाद खाद्यान्नों का प्रहस्तन किया जा सकता है।
(iii).	खाद्यान्नों के प्रहस्तन के लिए, डीपीटी ने आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क को अंगीकृत किया है जिसमें अनुमोदित प्रशुल्क हारबर मोबाइल क्रेन का प्रयोग करते हुए था। मौजूदा प्रस्ताव जलयान अनलोडर, होपर तथा कन्वेयर प्रणाली के माध्यम से कार्गो प्रहस्तन परिकल्पित करता है। अतः डीपीटी यह स्पष्ट करे कि खाद्यान्न के प्रहस्तन के लिए अंगीकृत प्रशुल्क प्रस्तावित परियोजना के लिए अंगीकृत किया जा सकता है।	इस सुविधा का उपयोग प्रस्तावित जलयान अनलोडर, होपर आदि के साथ खाद्यान्नों का प्रहस्तन करने के लिए किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मोबाइल हारबर क्रेन और जलयान अनलोडर जलयान उतराई उपस्कर के ही प्रकार हैं। एमएचसी के माध्यम से प्रहस्तित खाद्यान्न केवल मोबाइल होपरों के माध्यम से ट्रकों, डम्परों पर उतारे जाते हैं।
(iv).	उर्वरक के लिए, डीपीटी ने विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क अंगीकृत किया है। तत्पश्चात्, वीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा अनुमोदित अनुसूची सं. 2 एवं 3 को बदलते हुए आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा संशोधित अनुसूची 2 और 3 अर्थात् क्रमशः कार्गो प्रहस्तन प्रभार और भंडारण प्रभार अनुमोदित की थी। उपर्युक्त स्थिति के आलोक में, डीपीटी उक्त नवंबर 2009 आदेश से पत्तन द्वारा अंगीकृत प्रस्तावित उर्वरक के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभार, बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा प्रभार और भंडारण प्रभार की समीक्षा करे।	अब प्रशुल्क कार्गो प्रहस्तन प्रभारों तथा भंडारण प्रभारों के लिए प्रस्तावित किए गए हैं और प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2010 के अनुसार अंगीकृत किया गया है।
(v).	डीपीटी ने वीपीटी आदेश दिनांक 27 नवंबर 2009 में अनुमोदित उर्वरक हेतु अपफ्रंट प्रशुल्क अंगीकृत किया है जहां उर्वरकों के लिए प्रहस्तन दर उर्वरक के लिए प्रशुल्क 25000 टन/दिन निर्धारित किया माना गया है (संशोधित आदेश दिनांक 31 मार्च 2010 के समान है)। उसके	अब, "उर्वरकों" के लिए सकल बर्थ आउटपुट के लिए कार्यनिष्पादन मानक राजपत्र सं. 138 दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा अधिसूचित आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा लेबर प्रभार शामिल करने के लिए बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा के लिए संशोधन आदेश के

	विपरीत, डीपीटी द्वारा प्रस्तावित उर्वरक के लिए सकल बर्थ आउटपुट के लिए कार्यनिष्पादन मानक नीचे तालिकाबद्ध किया गया है: <table border="1" data-bbox="288 255 788 904"> <thead> <tr> <th>सकल बर्थ आउटपुट</th><th>कार्यनिष्पादन मानक (टन प्रतिदिन)</th><th>पत्तन की अभ्यक्तियां</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उर्वरक</td><td>20880 टन/दिन</td><td> प्रतिदिन 06 प्रहस्तित रैकों की 3480 टी. सं. रैक क्षमता = $3480 \times 6 = 20880$ टन/दिन 6 रैक एक दिन में लोड किए जाएंगे जब दो रैक गोदाम की दोनों में से एक तरफ समानान्तरतः लदाई करेंगे। एक रेलवे साइडिंग के लिए 3 रैक लादे जाएंगे। एक एकल स्ट्रीम के लिए 10440 टीपीडी। </td></tr> </tbody> </table> 20880 टन/दिन की दर से प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानकों के लिए डीपीटी द्वारा प्रेषित कारण/औचित्य रैकों पर प्रतिदिन कार्गो की लदाई से संबंधित है। जबकि सकल बर्थ आउटपुट जलयान साइड उपस्कर का प्रयोग करते हुए जलयान से तट तक उर्वरक के प्रहस्तन के लिए कार्यनिष्पादन मानकों के संदर्भ में है। उपर्युक्त के मद्देनजर और चूंकि पत्तन ने डीपीटी आदेश दिनांक 27 नवंबर 2009 से उर्वरक के प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क अंगीकृत किया है, इसलिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक अंगीकृत आदेश के साथ अनुबद्ध में होना चाहिए। अतः अंगीकृत आदेश में निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क में सुविचारित कार्यनिष्पादन/आउटपुट मानदंडों के साथ अनुबद्ध है।	सकल बर्थ आउटपुट	कार्यनिष्पादन मानक (टन प्रतिदिन)	पत्तन की अभ्यक्तियां	उर्वरक	20880 टन/दिन	प्रतिदिन 06 प्रहस्तित रैकों की 3480 टी. सं. रैक क्षमता = $3480 \times 6 = 20880$ टन/दिन 6 रैक एक दिन में लोड किए जाएंगे जब दो रैक गोदाम की दोनों में से एक तरफ समानान्तरतः लदाई करेंगे। एक रेलवे साइडिंग के लिए 3 रैक लादे जाएंगे। एक एकल स्ट्रीम के लिए 10440 टीपीडी।	साथ पठित राजपत्र सं. 251 दिनांक 18 दिसंबर 2009 द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/26/2009-डीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 के अनुसार संशोधित कर 25000 टन/दिन कर दिया गया है।
सकल बर्थ आउटपुट	कार्यनिष्पादन मानक (टन प्रतिदिन)	पत्तन की अभ्यक्तियां						
उर्वरक	20880 टन/दिन	प्रतिदिन 06 प्रहस्तित रैकों की 3480 टी. सं. रैक क्षमता = $3480 \times 6 = 20880$ टन/दिन 6 रैक एक दिन में लोड किए जाएंगे जब दो रैक गोदाम की दोनों में से एक तरफ समानान्तरतः लदाई करेंगे। एक रेलवे साइडिंग के लिए 3 रैक लादे जाएंगे। एक एकल स्ट्रीम के लिए 10440 टीपीडी।						
(vi).	डीपीटी ने प्रस्तावित सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क पर पहुंचने के लिए वर्ष 2020-21 तक सूचकांकन कारक पर विचार किया है। चूंकि वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सूचकांकन कारक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसे महापत्तन न्यासों को अलग-अलग संप्रेषित किया गया है, इसलिए डीपीटी वर्ष 2021-22 के लिए सूचकांकन कारक लेने के लिए संदर्भ प्रशुल्क का प्रस्ताव करे। परिणामस्वरूप, वार्षिक सूचकांकन के लिए आधार वर्ष के रूप में "जनवरी 2020" के साथ सूचकांकन के लिए आधार वर्ष के रूप में "जनवरी 2021" को बदलने के संबंध में सामान्य टिप्पणी संशोधित करें।	जैसाकि सुझाव दिया गया है, वर्ष 2021-22 के लिए टीएमपी द्वारा विधिवत् अनुमोदित सूचकांकन कारक अब शामिल किया गया है। वैसे उपर्युक्त सूचकांकन (0.33 प्रतिशत) 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 के बीच आने वाले डब्ल्यूपीआई में भिन्नता का 60 प्रतिशत है, इसलिए, अगले वार्षिक सूचकांकन के लिए आधार वर्ष जनवरी 2021 होगा।						

3. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू), तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस), अपने पत्र सं. पीआर-14019/16/2012-पीजी दिनांक 31 जुलाई 2013 द्वारा 09 और 12 सितंबर 2013 को महापत्तन न्यास (एमपीटी) अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन 'महापत्तनों' में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013 जारी किया था। उक्त दिशानिर्देश राजपत्र सं. 254 द्वारा 30 सितंबर 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे और 9 सितंबर 2013 से लागू किए गए थे और पांच वर्षों के लिए वैध है। उक्त दिशानिर्देशों की वैधता तत्पश्चात इसकी समाप्ति के बाद एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा समय-समय पर विस्तारित किया गया था और उक्त दिशानिर्देशों की वैधता पिछली बार एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा 8 सितंबर 2021 तक विस्तारित किया गया था और इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 153 दिनांक 12 अप्रैल 2021 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

4.1. 2013 के उक्त संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए, डीपीटी ने अपना मौजूदा प्रस्ताव दाखिल किया है। बर्थ सं. 14 में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं की इसकी प्रस्तावित परियोजना के लिए अपने प्रस्ताव दिनांक 28 अप्रैल 2021 में डीपीटी द्वारा किए गए मुख्य निवेदन नीचे सारबद्ध किए गए हैं:—

- (i). दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के बोर्ड ने साध्यता रिपोर्ट और एसएफसी ज्ञापन के साथ डीबीओटी आधार पर कांडला में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा का विकास के प्रस्ताव अनुमोदित किया था जिसे मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है।
- (ii). एसएफसी ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है और यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पारालेली को भी अनुमोदन के लिए टीएमपी को भेजा गया था।
- (iii). प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु संशोधित दिशानिर्देश, 2013 के अनुसार तैयार किया गया है जिसमें प्रस्तावित "संदर्भ प्रशुल्क" और "कार्यनिष्पादन मानक" दिए गए हैं।
- (iv). उर्वरक और साफ कार्गो अर्थात् खाद्यान्न में भविष्य वृद्धि करने के लिए, डीपीटी ने डिजाइन, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (डीबीओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से डीबीओटी आधार पर अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा का विकास करने का निर्णय लिया था। (डीपीटी ने परियोजना का प्रारूप भेजा है)।
- (v). प्रस्तावित सुविधा सभी प्रकार के उर्वरक कार्गो जैसे डीएपी, एमओपी, यूरिया आदि और अन्य साफ कार्गो का प्रहस्तन करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। साफ कार्गो ऐसे कार्गो होते हैं जोकि प्रकृति में प्रदूषण नहीं करते हैं। साफ कार्गो अर्थात् खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल और ज्वार; उर्वरक आदि को सुविधा के जलयान अनलोडर एवं होपर्स/कन्वेयर के माध्यम से उपयुक्ततः प्रहस्तित किया जाएगा।
- (vi). यह बर्थ 75000 डीडब्ल्यूटी के पोतों के प्रहस्तन के लिए 13.5 मी. डुबाव तक डिजाइन किया गया है।
- (vii). परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु. 300.28 करोड़ है।
- (viii). परियोजना की सर्वोत्तम क्षमता 5.33 एमएमटीपीए है।
- (ix). परियोजना के लिए प्रस्तावित कुल बैक अप क्षेत्र 267000 वर्ग मी. है जिसमें शैड और बैकअप क्षेत्र के विकास में से किसी एक पर रैक लदाई सुविधा के साथ भंडारण शैड, और बैगिंग एवं स्टिचिंग शैड शामिल है जिसमें बैगिंग संयंत्र और भंडारण शैड का विकास भी शामिल है।
- (x). 2013 के संशोधित संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों (आरटीजी) के खण्ड 2.2. के अनुसार, संदर्भ प्रशुल्क 2008 प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन संबद्ध महापत्तन न्यास में उस घटक के लिए निर्धारित उच्चतम प्रशुल्क होगा।
डीपीटी ने बीओटी आधार पर 13वें से 16वें बहुउद्देशीय कार्गो (कंटेनर/लिविड से इतर) बर्थों के लिए 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित जी.सं. 376 आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा संदर्भ प्रशुल्क अनुमोदित करवाया था।
इसलिए, खाद्यान्नों के लिए यह प्रशुल्क इस परियोजना में सुविचारित किया गया है। उपर्युक्त अधिसूचना में खाद्यान्नों के लिए अनुमोदित प्रशुल्क में 7.49 प्रतिशत की वृद्धि की गई है अर्थात् टीएमपी द्वारा अनुमोदित वृद्धि 1 जनवरी 2015 को आधार डब्ल्यूपीआई के साथ अनुमोदित प्रशुल्कों के लिए मार्च 2022 तक है।
- (xi). आरटीजी 2013 के खण्ड 2.4 के अनुसार, यदि कोई प्रशुल्क 2008 दिशानिर्देशों के अधीन महापत्तन न्यास विशेष में घटक विशेष के लिए निर्धारित नहीं किया गया हो तो टीएमपी निकटतम महापत्तन न्यास में उस घटक के लिए उपलब्ध 2008 दिशानिर्देशों के अधीन उच्चतम प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।
विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के लिए जी.सं. 138 दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा अधिसूचित आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा लेबर प्रभार को शामिल करने के लिए बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा के लिए संशोधन आदेश के साथ पठित राजपत्र सं. 251 दिनांक 18 दिसंबर 2009 द्वारा अधिसूचित आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा अनुमोदित अभियंत्रित उर्वरकों के प्रहस्तन सुविधाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क प्राप्त किया था।
इसलिए, प्रस्तावित परियोजना के लिए, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास का उक्त अपफ्रंट प्रशुल्क (क). उर्वरक के लिए कार्गो प्रहस्तन (ख). बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा (ग). भंडारण प्रभार (घ). विविध प्रभार के लिए सुविचारित किया गया है।
उपर्युक्त अधिसूचना में अनुमोदित प्रशुल्क में 1 जनवरी 2009 को आधार डब्ल्यूपीआई के साथ अनुमोदित प्रशुल्कों के लिए टीएमपी द्वारा अनुमोदित वृद्धि के अनुसार मार्च 2022 तक 35.41 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।
- (xii). दोनों सुविधाएं अर्थात् वीपीटी और विषय परियोजना सुविधा जिसके लिए मौजूदा प्रशुल्क अंगीकृत किया गया है वे समान प्रकृति के हैं। प्रस्तावित सुविधा बिल्कुल समान प्रकार के घटकों अर्थात् उर्वरक प्रहस्तन होगी।

- (xiii). उपर्युक्त आधार पर, डीपीटी आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2015 से खाद्यान्नों के लिए अंगीकृत अपक्रॉट प्रशुल्क और वीपीटी आदेश दिनांक 27 नवंबर 2009 से उर्वरक के लिए उर्वरक के अभियंत्रिकरण की प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि हैं।
- (xiv). डीपीटी ने डीपीटी में बर्थ सं. 14 में अपनी प्रस्तावित अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए प्रस्तावित दरमान भेजा है।
- (xv). डीपीटी ने कार्यनिष्पादन मानकों का भी प्रस्ताव किया है जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

क्र.सं.	पैरामीटर	कार्यनिष्पादन मानक (टन प्रतिदिन)
1.	सकल बर्थ आउटपुट	
	उर्वरक	25000 टन/दिन
	खाद्यान्न	20000 टन/दिन
2.	अंतरण भंडारण विराम समय (बल्क)	
	आयात - उर्वरक	20 दिन
	आयात - खाद्यान्न	05 दिन
3.	प्राप्ति/डिलीवरी परिचालन के लिए वापसी समय	
	पोटाश का म्यूरिएट, यूरिया, डीएपी आदि सहित उर्वरकों के लिए रैक (दोगुना परिचालन) (6 रैक)	06 घंटे प्रति प्रत्येक रैक लदाई परिचालन (रैक पूर्व तथा पश्चात लदाई परिचालनों सहित)

4.2. डीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 26 मार्च 2021 द्वारा बोर्ड संकल्प सं. 33 दिनांक 25 जून 2020 की प्रति भेजी है जिसमें बोर्ड ने अध्यक्ष, डीपीटी को (i). मसौदा संदर्भ प्रशुल्कों (ii). टीएमपी के प्रश्नों/पर्यवेक्षणों पर स्पष्टीकरण को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया था और इसे बर्थ सं. 14 में प्रस्तावित अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के मामले में टीएमपी को अग्रोषित किया गया था।

4.3. डीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 05 मई 2021 द्वारा प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभारों में प्रासंगिक शर्तों के साथ निर्यात कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। तत्पश्चात, डीपीटी ने अपने पूर्व प्रस्तावित एसओआर तथा कार्यनिष्पादन मानकों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करते हुए दोबारा अंतिम संशोधित प्रस्ताव दिनांक 06 मई 2021 दाखिल किया था जिसे नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i). पूर्व प्रस्ताव में निर्यात कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि का प्रस्ताव नहीं किया गया था। डीपीटी ने अब निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए 15 दिनों की निःशुल्क अवधि का प्रस्ताव किया है।
- (ii). उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, पत्तन ने निर्यात परिचालनों के लिए समेकित प्रहस्तन प्रभार के अधीन शामिल सेवाओं को सूचीबद्ध करते हुए समेकित प्रहस्तन प्रभारों के अधीन टिप्पणी सं. (ii) शामिल की गई है। पूर्व प्रस्ताव में प्रस्तावित टिप्पणी (i) आयात परिचालनों के लिए समेकित प्रहस्तन दर में शामिल सेवाओं के संबंध में ही है।
- (iii). पत्तन ने निर्यात कार्गो के लिए प्रस्तावित निःशुल्क अवधि की गणना के संबंध में प्रासंगिक शर्तों को भी उपयुक्ततः शामिल किया गया है।
- (iv). पत्तन ने अंतरण भंडारण विराम समय के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक संशोधित किए हैं। संशोधित प्रस्ताव के सापेक्ष इसके पूर्व प्रस्ताव में डीपीटी द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:-

क्र.सं.	पैरामीटर	इसके मूल प्रस्ताव दिनांक 28.04.2021 में प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक	इसके ईमेल दिनांक 6.5.2021 द्वारा संशोधित प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक	डीपीटी द्वारा ईमेल दिनांक 6.5.2021 द्वारा अपने अंतिम संशोधित प्रस्ताव में डीपीटी द्वारा प्रेषित संदर्भ/औचित्य
1.	सकल बर्थ आउटपुट	(टन प्रतिदिन)	(टन प्रतिदिन)	
	उर्वरक	25000 टन/दिन	25000 टन/दिन	आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009, अधिसूचना 18

				दिसंबर 2009 का जी. सं. 251
	खाद्यान्न	20000 टन/दिन	20000 टन/दिन	आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015, अधिसूचना 19 नवंबर 2015 का जी. सं. 376
2.	अंतरण भंडारण विराम समय (बल्क)	दिनों में	दिनों में	
(क).	आयात - उर्वरक	20 दिन	20 दिन	कई कारकों जैसे रैकों की उपलब्धता, उर्वरक की प्रकृति और प्रकार, लॉजिस्टिक्स सीमाएं आदि के आधार पर पत्तन में वास्तविक परिदृश्य के अनुसार।
(ख).	आयात - खाद्यान्न	5 दिन	61 दिन (56 दिन जमा निःशुल्क अवधि के 5 दिन)	आयात कार्गो (5 दिन) और निर्यात कार्गो (15 दिन) के लिए अंतरण भंडारण विराम समय तदनुसूची निःशुल्क अवधि के बराबर था। तथापि, प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 (पृष्ठ सं. 26 - viii - भंडारण प्रभागों के लिए प्रशुल्क गणना) के अनुसार, कार्गो की महत्वपूर्ण मात्रा 8वें सप्ताह अर्थात् निःशुल्क अवधि के बाद 56 दिन के बाद खाली करवाई जा रही है। इसपर विचार करते हुए, आयात खाद्यान्नों के लिए "अंतरण भंडारण विराम समय" के लिए इस कार्यनिष्पादन मानक पर विचार करते हुए संशोधित किया गया है और निर्यात कार्गो के लिए, अब कार्यनिष्पादन मानकों को शामिल किया गया है।
(ग).	निर्यात - सभी प्रकार के कार्गो		71 दिन (56 दिन जमा निःशुल्क अवधि के 15 दिन)	
3.	प्राप्ति/डिलीवरी परिचालन के लिए वापसी समय			
(क).	पोटाश के म्यूरिएट, यूरिया, डीएपी आदि सहित उर्वरकों के लिए रैक (दोगुना परिचालन) (6 रैक)	06 घंटे	06 घंटे	06 घंटे लदाई परिचालन (लदाई परिचालन से पहले और पश्चात रैक सहित)
(ख).	प्राप्ति/डिलीवरी परिचालन के लिए वापसी समय - खाद्यान्न			
	(i) परंपरागत कार्गो के लिए ट्रक (एकल परिचालन)	-	04 घंटे	अधिसूचना 19 नवंबर 2015 के आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 जी.सं. 376 और मॉडल रियायत करार (संदर्भ - आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी)
	(ii) परंपरागत कार्गो के लिए ट्रक (दोगुना परिचालन)	-	08 घंटे	
	(i) शुष्क बल्क कार्गो के लिए रैक (एकल परिचालन)	-	10 घंटे	
	(ii) शुष्क बल्क कार्गो के लिए	-	18 घंटे	

	लिए रैक (दोगुना परिचालन)			
--	--------------------------	--	--	--

4.4. डीपीटी ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अनुमोदित 13वें से 16वें बहुउद्देशीय कार्गो बर्थों के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क सभी कार्गो के परंपरागत प्रहस्तन के लिए है। परंतु, प्रस्तावित सुविधा विशेष रूप से उर्वरक तथा साफ कार्गो अर्थात् सभी प्रकार के खाद्यान्न के अभियंत्रित प्रहस्तन के लिए है। अतः अभियंत्रित प्रहस्तन सुविधा के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रशुल्क निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। पत्तन ने पुष्टि की है कि बर्थ डीपीटी के साथ है और पीपीपी आधार पर किसी उपयोक्ता को आबंटित नहीं किया गया है।

5.1. इस प्रकार, संक्षेप में, डीपीटी ने खाद्यान्नों के लिए प्रहस्तन प्रभार; अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 से विविध प्रभार और; उर्वरक प्रहस्तन प्रभारों, बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा के लिए प्रभार और भंडारण प्रभार के मामले में आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा बर्थ सं. 13 से 16 में बहुउद्देशीय कार्गो का प्रहस्तन करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क को अंगीकृत किया है, पत्तन ने वीपीटी के लिए मूल अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 में प्रशुल्क संशोधन आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क अंगीकृत करने का प्रस्ताव किया है।

5.2. इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा अनुमोदित उर्वरकों के प्रहस्तन प्रभारों, बैगिंग तथा स्टिचिंग के लिए प्रभारों, सेवा प्रभारों, भंडारण प्रभारों के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क की तुलना, अंतिम संशोधित प्रस्ताव दिनांक 06 मई 2021 में लागू सूचकांकन कारक लागू करने के बाद डीपीटी द्वारा प्रस्तावित सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के सापेक्ष आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा अनुमोदित विविध प्रभार और डीपीटी आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अनुमोदित विविध प्रभार नीचे दिया गया है:-

विवरण	आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31-03-2010 द्वारा अनुमोदित उर्वरकों के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभार, बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा, भंडारण प्रभार; आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अनुमोदित खाद्यान्नों के लिए प्रहस्तन प्रभार और वीपीटी आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27-11-2009 द्वारा अनुमोदित विविध प्रभार		लागू सूचकांकन कारक लागू करने के बाद अंतिम संशोधित डीपीटी प्रस्ताव दिनांक 06 मई 2021 में डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क	
			प्रस्तावित बर्थ सं. 14	बर्थ सं. 14 के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक
कार्गो का प्रकार	प्रहस्तन प्रभार (रु. में)	प्रहस्तन दर	प्रहस्तन प्रभार (रु. में)	सकल बर्थ आउटपुट
क. कार्गो प्रहस्तन प्रभार (बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवाएं अतिरिक्त)	एफ सी		एफ सी	
(i). पोटाश की म्यूरिएट, यूरिया, डीएपी आदि सहित तैयार उर्वरक	126.55 75.93	25000 टन/दिन	171.37 102.82	25000 टन/दिन
(ii). खाद्यान्न	141.74 85.04	20000 टन/दिन	152.36 91.41	20000 टन/दिन
ख. बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा के लिए प्रभार	एफ सी		एफ सी	
(प्रति मी.ट.)	110.53 110.53	-	149.67 149.67	-
विविध प्रभार	1.30 प्रति टन	-	1.76 प्रति टन	-
ग. निःशुल्क अवधि के बाद भंडारण		-		अंतरण भंडारण विराम समय (बल्क)

प्रभार (रु./मी.ट./दिन)				(i). आयात – उर्वरक 20 दिन (ii). आयात – खाद्यान्न 61 दिन (iii). निर्यात – 71 दिन सभी कार्गो
(i). निःशुल्क अवधि (आयात उर्वरक के लिए निःशुल्क अवधि 05 दिन) की समाप्ति के बाद प्रथम पांच दिन	1.30		1.76	
(ii). निःशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद 6वें दिन से 10वें दिन	3.90		5.28	
(iii). 10वें दिन के बाद	6.50		8.80	
	--	--	--	प्राप्ति/डिलीवरी परिचालन के लिए वापिसी समय पोटाश का म्यूरिएट, यूरिया, डीएपी आदि सहित उर्वरकों के लिए रैक (दोगुना परिचालन) (06 रैक) — 06 घंटे प्रति प्रत्येक रैक लदाई परिचालन (लदाई परिचालनों से पूर्व और पश्चात रैक सहित)
	--	--	--	प्राप्ति/डिलीवरी परिचालन के लिए वापिसी सुयः खाद्यान्न (i). परंपरागत कार्गो के लिए ट्रक (एकल परिचालन) 04 घंटे (ii). परंपरागत कार्गो के लिए ट्रक (दोगुना परिचालन) 08 घंटे (iii). शुष्क बल्क कार्गो के लिए रैक (एकल परिचालन) 10 घंटे (iv). शुष्क बल्क कार्गो के लिए दर (दोगुना परिचालन) 18 घंटे

6. चूंकि डीपीटी का प्रस्ताव संशोधन आदेश दिनांक 31 मार्च 2020 के साथ पठित वीपीटी आदेश दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा अनुमोदित अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के लिए अप्रेंट प्रशुल्क और डीपीटी आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अनुमोदित खाद्यान्नों के लिए संदर्भ प्रशुल्क जोकि हितधारकों के साथ परामर्श पर आधारित था, को अंगीकृत करते हुए अंगीकरण मामला है और यह स्वीकार करते हुए कि 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देश 15 दिनों के भीतर संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित किए जाने की अपेक्षा करता है, उक्त प्रस्ताव अंगीकरण आधार पर अन्य संदर्भ प्रशुल्क मामलों में अनुसरित दृष्टिकोण के अनुसार परामर्श के लिए नहीं लिया गया था।

7. संग्रहीत की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित बिन्दु प्रकट होते हैं:-

- (i). दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) का प्रस्ताव डीपीटी में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अधीन डिजाइन, निर्माण, परिचालन, हस्तांतरण (डीबीओटी) आधार पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण हेतु है।

डीपीटी प्रस्तावित बर्थ सं. 14 में पोटाश का म्यूरिएट, यूरिया, डीएपी आदि सहित तैयार किए गए उर्वरकों एवं खाद्यान्नों का प्रहस्तन करने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक एक मौसमी कार्गो अर्थात् वर्षभर उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, लीन मौसम अवधि (जनवरी से अप्रैल) के दौरान, परियोजना के लिए भावी बोलीदाताओं के प्रश्नों के अनुसार प्रभावी उपयोग के लिए शिप अनलोडर, होपर आदि के साथ खाद्यान्न प्रहस्तन के लिए इस सुविधा का उपयुक्ततः प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, सामान्य मौसम के दौरान भी, पत्तन ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित सुविधा कार्गो चेंजओवर के लिए प्रणाली की गतिविधि की परगिंग और सफाई के बाद तैयार उर्वरकों तथा खाद्यान्नों का प्रहस्तन करने के लिए उपयोग की जा सकती है। इस प्रकार, पत्तन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, यह प्राधिकरण पत्तन के प्रस्ताव पर निर्णय करने की कार्यवाही करता है।

डीपीटी के मूल प्रस्ताव दिनांक 28 अप्रैल 2021 में निर्यात कार्गो प्रहस्तन परिकल्पित नहीं किया गया था। अंतिम संशोधित प्रस्ताव दिनांक 06 मई 2021 में, पत्तन ने समेकित प्रहस्तन दर की अनुसूची के अधीन प्रासंगिक शर्त सहित निर्यात कार्गो को कवर का प्रस्ताव किया है, प्रासंगिक शर्तों के साथ निर्यात कार्गो के लिए प्रस्तावित निःशुल्क अवधि और प्रस्तावित संशोधित कार्यनिष्पादन मानकों का भी प्रस्ताव किया गया है। इस मामले की कार्यवाही के दौरान पत्तन द्वारा प्रेषित सूचना/स्पष्टीकरण के साथ डीपीटी के अंतिम संशोधित प्रस्ताव दिनांक 06 मई 2021 पर विचार किया गया है।

- (ii). डीपीटी का प्रस्ताव वीपीटी में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन गतिविधि के लिए इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा अनुमोदित बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवाओं और भंडारण प्रभारों के लिए प्रभार उर्वरक प्रहस्तन प्रभारों के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभारों हेतु अपफ्रंट प्रशुल्क अंगीकृत करते हुए डीपीटी में बर्थ सं. 14 में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क के अनुमोदन की मांग करता है, डीपीटी में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ 13 से 16 के लिए आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अनुमोदित खाद्यान्नों के प्रहस्तन के लिए संदर्भ प्रशुल्क और विविध प्रभार लागू सूचकांकन कारक लागू करने के बाद विशाखापत्तन पत्तन न्यास (वीपीटी) के मूल अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 से अंगीकृत किया गया है।

यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्राधिकरण ने पहले 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुमोदित किया था। तत्पश्चात, वीपीटी ने अनुपूरक प्रशुल्क के अनुमोदन तथा उक्त आदेश में निर्धारित भंडारण प्रभारों की समीक्षा की मांग की थी। तदनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 27 नवंबर 2009 में अनुमोदित अनुसूची सं. 2 और 3 को बदलते हुए आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा संशोधित अनुसूची 2 और 3 अर्थात् कार्गो प्रहस्तन प्रभार और भंडारण प्रभार अनुमोदित किए थे। ऐसी स्थिति में, डीपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उक्त आदेश दिनांक 31 मार्च 2010 से बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा हेतु प्रभारों और भंडारण प्रभारों के लिए तैयार उर्वरक प्रहस्तन के लिए दरें अंगीकृत की हैं। डीपीटी ने वीपीटी के लिए मूल आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा अनुमोदित विविध प्रभार अंगीकृत करने का प्रस्ताव किया है।

- (iii). 2013 के संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खण्ड 2.2 के अनुसार, पत्तन के पास 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन संबद्ध महापत्तन न्यास में उस घटक/सेवा के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उच्चतम अपफ्रंट प्रशुल्क अंगीकृत किए जाने का विकल्प है। यदि संबद्ध महापत्तन न्यास में उस घटक के लिए प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया हो अथवा संबद्ध महापत्तन न्यास में निर्धारित उच्चतम प्रशुल्क विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो पत्तन के पास किसी अन्य महापत्तन न्यास में इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उच्चतम अपफ्रंट प्रशुल्क अंगीकृत करने का विकल्प होगा जोकि विस्तृत तथा पर्याप्त औचित्य देने के बाद परियोजना में परिकल्पित घटक/सेवा के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है।

प्रस्तावित अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए मौजूदा प्रस्ताव में, जैसाकि पहले बताया गया है, पत्तन ने तैयार उर्वरक के लिए प्रहस्तन प्रभारों को अंगीकृत करने का प्रस्ताव किया है, बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवाओं के लिए प्रभार, भंडारण प्रभार तथा अभियंत्रित तैयार उर्वरक के लिए वीपीटी हेतु इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क से विविध प्रभार और खाद्यान्नों के लिए प्रहस्तन प्रभार आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अपने स्वयं के पत्तन में 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क आदेश से अंगीकृत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

पत्तन ने औचित्य दिया है कि वीपीटी और विषय परियोजना सुविधा जिसके लिए मौजूदा प्रशुल्क उसी तरह से अंगीकृत किया गया है और प्रस्तावित सुविधा बिल्कुल उसी प्रकार के घटकों अर्थात् उर्वरक और साफ कार्गो अर्थात् खाद्यान्न का प्रहस्तन करती रहेगी और इसलिए संशोधन आदेश दिनांक 31 मार्च 2010 के साथ पठित वीपीटी आदेश दिनांक 27 नवंबर 2009 से उर्वरक के लिए अंगीकृत अपफ्रंट प्रशुल्क और डीपीटी आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 से खाद्यान्नों के लिए अंगीकृत संदर्भ प्रशुल्क डीपीटी में बर्थ सं. 14 में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा की प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि है। इस प्रकार, संक्षेप में, डीपीटी का प्रस्ताव संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के खण्ड 2.2 में निर्धारित विकल्पों में फिट बैठता है।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और यह स्वीकार करते हुए कि इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 और 31 मार्च 2020 तथा इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अनुमोदित संदर्भ 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों/2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के मानदंडों तथा सिद्धांतों पर आधारित हैं और डीपीटी का मौजूदा प्रस्ताव सूचकांकन के बाद उक्त आदेशों में दरों के अंगीकरण के लिए है, यह संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 में विनिर्दिष्ट के अनुसार है। अतः यह प्राधिकरण डीपीटी में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण हेतु डीपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

- (iv). इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 द्वारा अनुमोदित अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची निर्धारित करता है कि प्रशुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा लेकिन 1 जनवरी 2009 और

प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक। इसके अलावा, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अनुमोदित 13वें से 16वें बहुउद्देशीय कार्गो बर्थों के लिए संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची निर्धारित करती है कि प्रशुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी लेकिन 1 जनवरी 2015 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही।

चूंकि वीपीटी आदेश दिनांक 27 नवंबर 2009 में सूचकांकन के लिए डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 1 जनवरी 2009 निर्धारित किया गया है, डीपीटी ने अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के अधीन वर्ष 2017-18 तक 27.49 प्रतिशत और तत्पश्चात इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए 2.07 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 के लिए 2.56 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 के लिए 1.13 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 के लिए 0.33 प्रतिशत की दर से घोषित वार्षिक सूचकांकन कारक में 1 जनवरी 2009 को आधार वर्ष के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित संघीय सूचकांकन कारक लागू करने के बाद सूचकांकित दर का प्रस्ताव किया है। उपर्युक्त सूचकांकन कारक का जोड़ 1.354138 (अर्थात् $1.2749 * 1.0207 * 1.0256 * 1.0113 * 1.0033$) होता है। उर्वरकों के प्रहस्तन के लिए दरों पर लागू सूचकांकन लागू करने के बाद डीपीटी द्वारा प्रस्तावित सूचकांकित दर, आधार वर्ष जनवरी 2009 के साथ इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा, भंडारण प्रभारों तथा विविध प्रभारों को सही और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के खण्ड 2.2 के अनुसार पाया गया है।

इसी तरह, चूंकि डीपीटी आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 में सूचकांकन के लिए डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 1 जनवरी 2015 निर्धारित किया गया है, डीपीटी ने संशोधित संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए शून्य, वर्ष 2017-18 के लिए 1.20 प्रतिशत, वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए क्रमशः 2.07 प्रतिशत, 2.56 प्रतिशत, 1.13 प्रतिशत और 0.33 प्रतिशत की दर से 1 जनवरी 2015 को आधार वर्ष के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित वार्षिक सूचकांकन कारक लागू करने के बाद सूचकांकित दर का प्रस्ताव किया है। उपर्युक्त सूचकांकन कारक का जोड़ 1.07489 (अर्थात् $1.012 * 1.0207 * 1.0256 * 1.0113 * 1.0033$) होता है। आधार वर्ष जनवरी 2015 के साथ इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खाद्यान्नों की प्रहस्तन दर पर लागू सूचकांकन लागू करने के बाद डीपीटी द्वारा प्रस्तावित सूचकांकित दर को सही और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के खण्ड 2.2 के अनुसार पाया गया है।

अतः, संदर्भ प्रशुल्क के रूप में डीपीटी द्वारा प्रस्तावित सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क अनुमोदित किया गया है।

- (v). भविष्य अवधि के लिए संदर्भ प्रशुल्क के सूचकांकन को शासित करने वाले डीपीटी द्वारा प्रस्तावित टिप्पणी 01 जनवरी 2021 के संदर्भ में है। चूंकि 01 जनवरी 2020 और 01 जनवरी 2021 के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में एक वर्ष 2021-22 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित वार्षिक सूचकांकन कारक डीपीटी द्वारा लिया गया है, इसलिए भविष्य अवधि के लिए सूचकांकन 01 जनवरी 2021 से प्रासंगिक वर्ष के 01 जनवरी के संदर्भ में होगी। इसलिए, डीपीटी द्वारा प्रस्तावित सामान्य टिप्पणी सही है।
- (vi). जैसाकि पहले बताया गया है, अंतिम संशोधित प्रस्ताव में, पत्तन ने निर्यात प्रहस्तन परिचालनों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। उसके परिणामस्वरूप, पत्तन ने निर्यात परिचालनों के लिए समेकित प्रहस्तन प्रभार के अधीन आच्छादित सेवाओं को सूचीबद्ध करते हुए समेकित प्रहस्तन प्रभार के अधीन टिप्पणी सं. (ii) को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित टिप्पणी डीपीटी आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 से अंगीकृत की गई देखी गई है और इसलिए अनुमोदित किया गया है।
- (vii). 5 दिनों की दर से प्रस्तावित आयात कार्गो के भंडारण के लिए निःशुल्क अवधि अंगीकृत वीपीटी आदेश दिनांक 31 मार्च 2010 के समान है। निर्यात कार्गो के संबंध में, पत्तन ने अंगीकृत डीपीटी आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 से 15 दिनों की निःशुल्क अवधि का प्रस्ताव किया है। बहुउद्देशीय कार्गो के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश यह मानदंड निर्धारित करते हैं कि भंडारण प्रभार आयात कार्गो के लिए 5 दिनों और निर्यात कार्गो के लिए 15 दिनों की स्वीकृतियोग्य अवधि के बाद अंतरण क्षेत्र पर कार्गो के भंडारण के लिए वसूल किए जाते हैं। डीपीटी का प्रस्ताव निर्धारित मानदंडों और अंगीकृत प्रशुल्क आदेशों के बीच अनुबद्ध है और इसलिए अनुमोदित किया गया है।
पत्तन ने आयात और निर्यात कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि की गणना के संबंध में प्रासंगिक शर्तों को भी शामिल किया है, भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोद्भूत नहीं होगा जब परिचालक तब कार्गो डिलीवरी/नौभरण करने में समर्थ नहीं हो जब अंगीकृत दरमान से परिचालक पर आरोप्य कारणों के कारण उपयोक्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया हो और सही पाया गया है तथा इसलिए डीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित किए गए हैं।
- (viii). 2013 के संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खण्ड 2.2 इस प्राधिकरण से यह अपेक्षा करता है कि कार्यनिष्पादन मानकों के साथ संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित करे।

संदर्भ प्रशुल्क 2013 के खण्ड 2.9 के अनुसार, संदर्भ प्रशुल्क सम्पूर्ण रियायत अवधि के लिए डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष स्वतः सूचकांकित किया जाएगा। संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश के अधीन कार्यनिष्पादन मानकों का निर्धारण परिचालन के दूसरे वर्ष से निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर 15 प्रतिशत तक प्रशुल्क सूचकांकित करने के लिए डीपीटी परिचालक को हकदार बनाने के लिए है। इसलिए, संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों में कार्यनिष्पादन मानक का निर्धारण निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर प्रशुल्क से जुड़े कार्यनिष्पादन के लिए परिकल्पित किया गया है।

संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 पैरामीटर विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं जिसके लिए कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित किए जाने हैं। पत्तन ने रैकों तथा ट्रकों के लिए सकल बर्ध आउटपुट, अंतरण भंडार विराम समय और वापिसी समय के रूप में कार्यनिष्पादन मानकों का प्रस्ताव किया है। डीपीटी द्वारा प्रस्तावित और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यनिष्पादन मानक नीचे स्पष्ट किए गए हैं:-

- (क). डीपीटी ने उर्वरकों के लिए 25000 टन/दिन की दर से सकल बर्ध दिवस आउटपुट के लिए कार्यनिष्पादन मानकों का प्रस्ताव किया है। उर्वरकों के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक डीपीटी अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश के नवंबर 2009/मार्च 2010 में सुविचारित प्रहस्तन दर से अनुबद्ध है। 20,000 टन/दिन की दर से खाद्यान्नों के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक डीपीटी आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 में अनुमोदित कार्यनिष्पादन मानकों के अनुसार है। डीपीटी में बर्ध सं. 14 पर इसकी परियोजना के लिए सकल बर्ध आउटपुट के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक अनुमोदित किए गए हैं।
- (ख). अंतरण भंडारण विराम समय के संबंध में, डीपीटी ने अपने पूर्व प्रस्ताव दिनांक 28 अप्रैल 2021 में आयात खाद्यान्नों के लिए 5 दिन और आयात उर्वरक कार्गो के लिए 20 दिनों का प्रस्ताव किया था। अंतिम संशोधित प्रस्ताव दिनांक 06 मई 2021 में, पत्तन ने 5 दिन से 61 दिन तक खाद्यान्न आयात के लिए अंतरण विराम समय के लिए कार्यनिष्पादन मानक संशोधित किए थे और सभी निर्यात कार्गो के लिए 71 दिनों का कार्यनिष्पादन मानक भी शामिल किया था। तुलनात्मक स्थिति पूर्व में तालिकाबद्ध की गई है और इसलिए संक्षिप्तता की खातिर दोहराया नहीं गया है।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि पहले प्रस्तावित आयात कार्गो के लिए 5 दिन और निर्यात कार्गो के लिए 15 दिन की दर से अंतरण भंडारण विराम समय के लिए कार्यनिष्पादन मानक तदनुरूपी निःशुल्क अवधि के बराबर थे। पत्तन ने प्रशुल्क आदेश सं. टीएएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 में सुविचारित भंडारण प्रभारों के लिए प्रशुल्क गणना का उल्लेख करते हुए संशोधित कार्यनिष्पादन मानकों को तर्कसंगत ठहराने का प्रयास किया था जिसमें कार्गो की महत्वपूर्ण मात्रा 8वें सप्ताह के बाद अर्थात् निःशुल्क अवधि के बाद 56 दिन निकासित किया जा रहा है। इसपर विचार करते हुए, पत्तन ने 5 दिन से 61 दिनों तक अर्थात् 56 दिन + 5 दिन निःशुल्क अवधि आयात खाद्यान्नों के लिए अंतरण भंडारण विराम समय के लिए कार्यनिष्पादन मानक संशोधित किए हैं और 71 दिनों अर्थात् 56 दिन : 15 दिन की दर से निर्यात कार्गो के लिए कार्यनिष्पादन पैरामीटर को शामिल किया है।

इस संबंध में, पत्तन द्वारा उल्लिखित प्रशुल्क भंडारण गणना, आदेश सं. टीएएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 के पैरा 13.1 और 13.2 (viii) से यह देखा जा सकता है कि डीपीटी ने संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 के अधीन बर्ध सं. 13वें से 16वें के लिए प्रस्तावित भंडारण प्रभार पर पहुंचने के लिए भंडारण प्रभार से अनुमानित एआरआर को पूरा करने के लिए प्रशुल्क गणना भेजी थी। दिए गए विभिन्न स्लैब और यहां पर डीपीटी द्वारा सुविचारित निकासी पैटर्न, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रस्तावित भंडारण प्रशुल्क पर, भंडारण प्रभार से अनुमानित एआरआर वसूलीयोग्य है और तटस्थ राजस्व स्थिति व्यवस्थित की गई है।

भूमि दुर्लभ संसाधन होने के चलते सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में, भंडारण प्रभार डीपीटी सहित सभी पत्तनों में उच्चतर स्लैबों के लिए भंडारण प्रशुल्क में वृद्धि के साथ विभिन्न स्लैबों में निर्धारित किए गए हैं। अंतिम लेकिन बैचमार्क कार्यनिष्पादन मानकों के रूप में एक स्लैब (अर्थात् 8वां स्लैब) प्रस्तावित करने के लिए डीपीटी का प्रस्ताव कार्यनिष्पादन मानकों के रूप में निर्धारण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, तो अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश बहुउद्देशीय बर्ध के लिए आयात कार्गो हेतु 5 दिन और निर्यात कार्गो के लिए 15 दिनों की स्वीकृतियोग्य भंडारण अवधि के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं। डीपीटी सहित किसी भी महापत्तन न्यास में, भंडारण प्रशुल्क पर पहुंचने में लिया गया उच्चतम स्लैब पत्तन द्वारा प्रस्तावित किया गया है और विराम समय के लिए कार्यनिष्पादन मानकों के रूप में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

13वें से 16वें बर्ध के लिए डीपीटी के अंगीकृत संदर्भ प्रशुल्क आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 में भी, विराम समय के लिए निर्धारित कार्यनिष्पादन मानक सभी आयात बहुउद्देशीय कार्गो के लिए 5 दिन और सभी निर्यात बहुउद्देशीय कार्गो के लिए 15 दिन है। कार्गो प्रोफाइल में खाद्यान्न और उर्वरक शामिल है।

उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, यह प्राधिकरण आयात खाद्यान्नों के लिए 5 दिन और सभी निर्यात कार्गो के लिए 15 दिन की दर से अंतरण भंडारण विराम समय के लिए कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित करता है।

इस संबंध में, आयातक उर्वरक के लिए अंतरण भंडारण विराम समय, पत्तन ने यह उद्धरित करते हुए 20 दिनों का प्रस्ताव किया है कि यह कई कारकों जैसे रैकों की उपलब्धता, उर्वरक की प्रकृति और प्रकार, लॉजिस्टिक्स के आधार पर पत्तन में वास्तविक परिदृश्य के अनुसार है। उर्वरक कार्गो के लिए, अंगीकृत डीपीटी आदेश कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित नहीं करता है क्योंकि यह 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन अधिकार प्राप्त नहीं था। अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए कोई निर्धारित मानदंड के अभाव में और यह भी स्वीकार करते हुए कि प्रस्तावित परियोजना में पत्तन द्वारा

परिकल्पित सुविधा में उर्वरक प्रहस्तन के लिए बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवाएं शामिल हैं और पत्तन द्वारा दिए गए कारणों से, आयात उर्वरक के लिए अंतरण भंडारण विराम समय के लिए कार्यनिष्पादन मानक पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित 20 दिन निर्धारित किए गए हैं।

- (ग). इस संबंध में, रैक के लिए कार्यनिष्पादन मानक, पत्तन ने 06 घंटे प्रति प्रत्येक रैक लदाई परिचालन (रैक पूर्व और पश्चात लदाई परिचालनों सहित) का प्रस्ताव किया है। इस पैरामीटर के लिए मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस पैरामीटर के लिए प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक अनुमोदित किए गए हैं।
- (घ). इस संबंध में, प्राप्ति और डिलीवरी परिचालनों के लिए कार्यनिष्पादन मानक, पत्तन द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानक डीपीटी आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 में निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों के बराबर है और इसलिए अनुमोदित किया गया है।
- (ix). डीपीटी द्वारा प्रस्तावित परिभाषाओं में “माह”, “टीएमपी” और “टन” की परिभाषा शामिल है। इनमें से कोई भी शब्दावली अंगीकृत अपफ्रंट/संदर्भ प्रशुल्क आदेशों में निर्धारित नहीं की गई हैं। माह शब्दावली प्रस्तावित एसओआर में प्रयुक्त नहीं की गई है और इसलिए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। टीएमपी की परिभाषा भी अपेक्षित नहीं है; इसलिए एसओआर में निर्धारित नहीं किया गया है। “टन” के संबंध में, पत्तन ने इसे एक मीट्रिक टन अथवा 1,000 किलोग्राम अथवा एक घन मीटर परिभाषित किया है। टन जोकि एक भारतोलन परिमाण है, एक घन मीटर, जोकि एक मात्रा परिमाण है, के बराबर नहीं है। डीपीटी का सामान्य एसओआर देयताओं की गणना करने के प्रयोजन के लिए बताया गया है, भार की इकाई 1 टन अथवा 1,000 किलोग्राम होगी, मात्रा परिमाण द्वारा इकाई 1 घन मीटर होगा और बल्क में द्रव्यों के लिए क्षमता परिमाण द्वारा इकाई 1,000 लिटर होगी। इसके अलावा, चूंकि प्रस्तावित कार्गो बल्क है, इसलिए घन मीटर के रूप में लेवी की इकाई प्रासंगिक नहीं होगी। उपर्युक्त स्थिति के आधार पर, टन की परिभाषा को “अथवा एक घन मीटर” शब्दावली हटाने के लिए मामूली संशोधित की गई है।
- (x). यदि सुविचारित अभिलेखों में कोई त्रुटि दिखाई देती है अथवा किन्हीं अन्य औचित्यपूर्ण कारणों से, डीपीटी भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर पर्याप्त औचित्य/कारण देते हुए परियोजना की बोली प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क की समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण का रुख कर सकता है।

8.1. उपर्युक्त के अधीन, पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित डीपीटी में बर्थ सं. 14 में अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची और कार्यनिष्पादन मानक क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** रूप में संलग्न किए गए हैं।

8.2. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, डीपीटी में बर्थ सं. 14 में अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची अनुमोदित की गई हैं और कार्यनिष्पादन मानकों के साथ अधिसूचित किया गया है, जोकि **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** रूप में संलग्न किए गए हैं।

8.3. संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के खण्ड 2.5 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानक बोली दस्तावेज में उल्लिखित किया जाएगा और तत्पश्चात पीपीपी परियोजनाओं के मामले में रियायत करार में उल्लिखित किया जाएगा। तदनुसार, डीपीटी को यह सलाह दी जाती है कि संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानक बोली दस्तावेज में शामिल करे और उसके बाद पीपीपी परियोजनाओं के मामले में रियायत करार में शामिल किया जाए।

9.1. वाणिज्यिक परिचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, यह प्रशुल्क उस वर्ष के लिए प्रासंगिक सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा, जोकि अधिकतम सीमा होगी। उपर्युक्त संदर्भ प्रशुल्क 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में यथा दिए गए सूचकांकन के आधार पर प्रतिवर्ष स्वतः संशोधित किया जाएगा जोकि सम्पूर्ण रियायत अवधि के लिए लागू होगी।

तथापि, पीपीपी परिचालक आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के अलावा परिचालन के दूसरे वर्ष से आगे से कार्यनिष्पादन मानक (“कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क”) के साथ प्रशुल्क का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क उसका प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के अलावा 15 प्रतिशत अधिक होगा (और यह प्रशुल्क की अधिकतम सीमा होगी)। कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से लागू होगा और सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा।

9.2. यह प्रस्ताव रियायत करार में यथा शामिल पिछले 12 महीनों अथवा परिचालन के प्रथम वर्ष में परिचालन के महीनों की वास्तविक संख्या, जैसी भी स्थिति हो, के लिए कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि दर्शाते हुए परियोजना के रियायत करार के अधीन नियुक्त स्वतंत्र अभियंता से प्रमाणपत्र के साथ इस प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

9.3. प्रस्ताव की प्राप्ति पर, यह प्राधिकरण प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर, 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 5 में यथा दिए गए कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर डीपीटी के विचार मांगेगा।

9.4. पिछले 12 महीनों में रियायत करार में यथा शामिल कार्यनिष्पादन मानकों को परिचालक द्वारा अर्जित नहीं किए जाने की स्थिति में, यह प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और परिचालक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू केवल सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के लिए ही हकदार होगा।

- 9.5. डीपीटी की राय पर विचार करने के बाद, यदि यह प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानक अर्जित कर लिए गए हैं, यह आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 15 मार्च तक कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।
- 9.6. कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार करते हुए, यह प्राधिकरण कार्यनिष्पादन मानकों और परिचालक द्वारा इसके अनुपालन किए जाने का ध्यान रखेगा। यह प्राधिकरण परिचालक द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि अथवा अन्यथा के आधार पर कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा खारिज किए जाने पर निर्णय करेगा। सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का निर्धारण 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के साथ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गए उदाहरण का अनुसरण करेगा।
- 9.7. परिचालन के तीसरे वर्ष से, पीपीपी परिचालक से कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव स्वतंत्र अभियंता द्वारा यथा प्रमाणित पिछले 12 महीनों की अवधि में कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन इस प्राधिकरण द्वारा स्वतः अधिसूचित किया जाएगा। पीपीपी परिचालक, तीसरे वर्ष से आगे के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए, स्वतंत्र अभियंता से उपलब्धि प्रमाणपत्र के साथ कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव 1 मार्च तक प्रस्तुत करेगा और यह प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने वाले कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क को 20 मार्च तक अधिसूचित करेगा।
- 9.8. यदि किसी उपयोक्ता को इस प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों के पीपीपी परिचालकों द्वारा गैर-उपलब्धि के संबंध में कोई शिकायत हो तो वह इस प्राधिकरण को अभ्यावेदन को वरीयता दे सकता है, जो उसके बाद अभ्यावेदन की जांच करेगा और अपने निष्कर्ष डीपीटी को देगा। डीपीटी तत्संबंधी रियायत करार के उपबंधों के अनुसार निष्कर्षों पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।
- 9.9. रियायत करार पर हस्ताक्षर होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर, संबद्ध परिचालक रियायत करार इस प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा जिसे प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- 9.10. पीपीपी परिचालक इस प्राधिकरण को कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, जलयानों का औसत वापिसी समय, औसत पूर्व-बर्थिंग प्रतीक्षा समय एवं प्रत्येक बर्थ के लिए वसूल किए गए प्रशुल्क पर त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेगा। त्रैमासिक रिपोर्टें प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद एक माह के भीतर पीपीपी परिचालक द्वारा तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी। कोई अन्य सूचना जिसकी इस प्राधिकरण द्वारा अपेक्षा की जाएगी, भी समय-समय पर उन्हें भेजी जाएगी।
- 9.11. यह प्राधिकरण पीपीपी परिचालक से प्राप्त सभी ऐसी सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। तथापि, यह प्राधिकरण वाणिज्यिक दृष्टि से संवेदनशील आंकड़े/सूचना प्रकाशित नहीं किए जाने के बारे में किसी पीपीपी परिचालक से कोई अनुरोध प्राप्त होने पर उसपर विचार करेगा। ऐसे अनुरोधों के साथ प्रश्नाधीन आंकड़े/सूचना की वाणिज्यिक संवेदनशीलता के संबंध में विस्तृत औचित्य और इसके प्रकाशन से उनके राजस्व/परिचालन पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./89/2021-22]

अनुबंध-I

डीपीटी में बर्थ सं. 14 में अभियंत्रीकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची

1. परिभाषाएँ

इस दरमान में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

- (i). "तटीय पोत" का अर्थ सक्षम प्राधिकारी / जहाजरानी महानिदेशक द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (ii). "विदेशगामी पोत" का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा।
- (iii). "प्रतिदिन" का अर्थ प्रति कैलेंडर दिवस होगा जब तक कि अन्यथा उल्लिखित नहीं किया जाता।
- (iv). "दिवस" भंडारण प्रभारों के प्रयोजन के लिए 0800 बजे से 0800 बजे अथवा उसका भाग गिनती किया जाएगा।
- (v). "पत्तन" का अर्थ दीनदयाल पत्तन न्यास होगा।
- (vi). "टन" का अर्थ एक मीट्रिक टन अथवा 1,000 किलोग्राम होगा।

2. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

- (i). विलंबित भुगतानों/वापसियों पर ब्याज:

- (क). उपयोक्ता इस दरमान के अधीन विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा। इसी प्रकार, टर्मिनल परिचालक विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा।
- (ख). दंडात्मक ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान ऋण दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी।
- (ग). वापसियों में विलंब सेवाओं के पूरा होने की तारीख के 20 दिन बाद से अथवा उपयोक्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में हो, परिगणित किया जाएगा।
- (घ). उपयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब टर्मिनल परिचालक द्वारा बिलों को दिए जाने की तारीख के बाद केवल 10 दिन परिगणित किया जाएगा। तथापि, यह उपबंध उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त किए जाने से पहले किया जाता है जहां प्रमारों का अग्रिम भुगतान इस दरमान में शर्त के रूप में निर्धारित किया गया हो।
- (ii). सभी परिगणित प्रभार बिल के सकल जोड़ पर अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किए जाएंगे।
- (iii). टर्मिनल परिचालक पर आरोप्य उपयुक्त स्तर से अधिक विलंबों के लिए उपयोक्ता प्रमारों की अदायगी नहीं करेंगे।
- (iv). सीमाशुल्क अथवा नौवहन महानिदेशक द्वारा इसके प्रमाणन द्वारा यथा निहित पोत की हैसियत यह निर्णय करने के लिए प्रासंगिक कारक है कि पोत बर्थ किराये की वसूली के प्रयोजन के लिए "तटीय" अथवा "विदेशगामी" है, और कार्गो की प्रकृति अथवा इसका मूल इस प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिक नहीं होगा।
- (v). **रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधित प्रमारों (सीआरसी) की वसूली हेतु मानदंड**
- (क). 'विश्वव्यापी तथा तटीय' परिचालन के लिए जारी किए गए सामान्य ट्रेडिंग लाइसेंस वाले विदेशगामी भारतीय पोत प्रहस्तन प्रमारों (एचसी) के मामले में अर्थात् जलयान से तट स्थानांतरण और निम्नलिखित परिदृश्य में घाटशुल्क सहित घाट से/को भंडारण यार्ड और विलोमतः तटीय दरें लागू की जाएंगी:
- (i). तटीय चालन में परिवर्तित और किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की ढुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।
- (ii). तटीय चालन में * अपरिवर्तित परन्तु किसी भारतीय पत्तन से तटीय कार्गो की ढुलाई करना और किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित करना।
- *केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड का परिपत्र सं. 15/2002-सी. दिनांक 25 फरवरी 2002 बिना किसी सीमाशुल्क परिवर्तन के भारतीय ध्वज वाले विदेशगामी पोतों में एक भारतीय पत्तन से भारत में दूसरे पत्तन तक तटीय कार्गो की ढुलाई की अनुमति देता है।
- (ख). जहाजरानी महानिदेशक, और किसी सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश द्वारा जारी किए गए विनिर्दिष्ट अवधि अथवा नौप्रस्थान के लिए लाइसेंस और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित विदेशी ध्वज वाले पोत के मामले में, किसी भारतीय पत्तन से लादा गया तथा किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए गंतव्यित तटीय कार्गो/कंटेनर तटीय कार्गो/कंटेनर के लिए लागू दर पर वसूल किया जाएगा।
- (vi). (क). सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार सामान्य कार्गो संबंधित प्रमारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
- (ख). कार्गो संबंधित प्रमारों के मामले में, रियायती दरें जलयान तट स्थानांतरण और घाटशुल्क सहित घाट से/को स्थानांतरण के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रमारों पर वसूल किया जाएगा।
- (ग). विदेशी पत्तन से कार्गो जो भारतीय पत्तन "ख" को अनुवर्ती पोतांतरण के लिए भारतीय पत्तन "क" पर पहुंचता है, वह इसके तटीय नौचालन के लिए प्रासंगिक रियायत प्रभार वसूल किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, तटीय नौचालन करने के लिए अनुमत पोतों द्वारा भारतीय पत्तनों से/को कार्गो रियायत के लिए योग्यता प्राप्त करेगा।
- (घ). तटीय कार्गो/पोतों के लिए प्रभार भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित और संग्रहीत किया जाएगा।
- (vii). दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं; इसी प्रकार, रियायतें और छूट अधिकतम स्तर हैं। टर्मिनल परिचालक, यदि वह ऐसा चाहता है, निम्नतर दरें वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर रियायतें और छूट की अनुमति दी जा सकती है।
- टर्मिनल परिचालक, यदि वह ऐसा चाहता है, दरमान में निर्धारित दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत बना सकता है यदि ऐसा युक्तिकरण दर प्रति इकाई में उपयोक्ता को राहत देता है और दरमान में निर्धारित इकाई दरें अधिकतम स्तरों को पार नहीं करेंगी।
- तथापि, टर्मिनल परिचालक ऐसी निम्नतर दरें और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली शर्तों के युक्तिकरण की सार्वजनिक अधिसूचना देगा और ऐसी निम्नतर दरें और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली शर्तों में आगे भी सार्वजनिक अधिसूचना देता रहेगा बशर्त निर्धारित नई दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित की गई दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (viii). किसी मद के सकल भार अथवा मात्रा द्वारा परिमाण अथवा क्षमता की गणना करते हुए, 0.5 तक और सहित दशमलव को 0.5 लिया जाएगा और 0.5 से अधिक के दशमलवों को एक इकाई के रूप में माना जाएगा, सिवाय जहां अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

3. कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की अनुसूची:

क. (i). समेकित अभियंत्रित प्रहस्तन प्रभार (बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा के सिवाय)

(रु. प्रति एम.टी.)

विवरण/कार्गो	विदेशी	तटीय
पोटाश का म्यूरिएट, यूरिया, डीएपी आदि सहित तैयार उर्वरक	171.37	102.82

(ii). कार्गो प्रहस्तन प्रभार (बैगिंग और स्टिचिंग सेवा के सिवाय)

(रु. प्रति मी.ट.)

विवरण/कार्गो	विदेशी	तटीय
खाद्यान्न	152.36	91.41

टिप्पणी:

- (i). ऊपर निर्धारित प्रहस्तन प्रभार पोत से कार्गो की उतराई और इसके भंडारण के स्थान तक स्टीवडोरिंग तथा स्थानांतरण, 5 दिनों की निःशुल्क अवधि तक स्टेकयार्ड/सिलोस में भंडारण, और आयात कार्गो के मामले में ट्रकों/रेलवे वैगनों पर लदाई सहित के लिए समेकित प्रभार है; और स्टेकयार्ड में ट्रकों से कार्गो की उतराई, 15 दिनों की अवधि तक स्टेकयार्ड में भंडारण, लदाई स्थल को कार्गो का स्थानांतरण और निर्यात कार्गो के मामले में स्टीवडोरिंग सहित जलयान पर लदाई। समेकित प्रभार में घाटशुल्क और लेबर की आपूर्ति, जहां कहीं आवश्यक हो और सभी अन्य विविध प्रभार दरमान में विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं।

ख. बैगिंग और स्टिचिंग सेवा के लिए प्रभार:

(रु. प्रति मी.ट.)

विवरण/कार्गो	विदेशी	तटीय
पोटाश का म्यूरिएट, यूरिया, डीएपी आदि सहित तैयार उर्वरक	149.67	149.67

टिप्पणी:

ऊपर निर्धारित प्रभार केवल बैगिंग संयंत्र में प्रहस्तित कार्गो के लिए और कवर बैगिंग तथा स्टिचिंग सेवा, कन्वेयर/छूट से स्टेकिंग क्षेत्र में बैगों की ढुलाई के लिए लेबर लागत, प्लेटफार्म से डिस्टेकिंग, वैगनों पर ढुलाई और वैगनों पर बैगों की नियुक्त संख्या की लदाई और वैगनों की सिलिंग, वैगनों की सफाई, डुनेज के साथ वैगन फ्लोर की लाइनिंग और अन्य अनुषंगी सेवाओं के लिए लागू है।

4. भंडारण प्रभार

निःशुल्क अवधि के बाद स्टेक यार्ड में भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नवत् होंगे:

(क). निःशुल्क अवधि

आयात कार्गो : 5 दिन निःशुल्क

निर्यात कार्गो : 15 दिन निःशुल्क

(ख) निःशुल्क अवधि के बाद भंडारण प्रभार

(प्रति टन/प्रतिदिन)

क्र.सं.	विवरण	(रु.)
01	निःशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद प्रथम पांच दिन	1.76
02	निःशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद 6वें दिन से 10वें दिन	5.28
03	10वें दिन के बाद	8.80

टिप्पणियां:

- (i) आयात कार्गो के लिए पांच निःशुल्क दिवस और निर्यात कार्गो के लिए पन्द्रह निःशुल्क दिवस निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए स्वीकृत होंगे।
- (ii) निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस और टर्मिनल के गैर कार्यदिवस अतिरिक्त होंगे।
- (iii) (क). आयात कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि पोत से अंतिम उतराई के पूरा होने के अगले दिन से परिगणित की जाएगी।
(ख). निर्यातों के लिए निःशुल्क अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस तारीख को कार्गो को अंतरण/पत्तन क्षेत्र में लाया जाता है। भंडारण प्रभार पोत की बर्थिंग की तारीख के अगले दिन से समाप्त हो जाएगा।
- (iv) कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रोद्भूत नहीं होगा जब टर्मिनल उस समय कार्गो की डिलीवरी/नौभरण करने की स्थिति में नहीं हो जब उपयोक्ता द्वारा टर्मिनल परिचालक पर आरोप्य कारणों के कारण अनुरोध किया जाता है।

5. विविध प्रभार

रु. 1.76 प्रति टन सभी विविध सेवाओं जैसे धूमीकरण, कार्गो सुरक्षा आदि के लिए समेकित प्रभार है।

6. सामान्य टिप्पणी:

- (i). प्रशुल्क अधिकतम सीमाओं को मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा लेकिन 1 जनवरी 2021 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही। प्रशुल्क की अधिकतम सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क अधिकतम सीमाएं प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगी।
- (ii). वाणिज्यिक परिचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, यह प्रशुल्क उस वर्ष के लिए प्रासंगिक सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा, जोकि अधिकतम सीमा होगी। उपर्युक्त संदर्भ प्रशुल्क 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में यथा दिए गए सूचकांकन के आधार पर प्रतिवर्ष स्वतः संशोधित किया जाएगा जोकि सम्पूर्ण रियायत अवधि के लिए लागू होगी।
तथापि, लाइसेंसधारी आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के अलावा परिचालन के दूसरे वर्ष से आगे से कार्यनिष्पादन मानक ("कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क") के साथ प्रशुल्क का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क उसक प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के अलावा 15 प्रतिशत अधिक होगा (और यह प्रशुल्क की अधिकतम सीमा होगी)। कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से लागू होगा और सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा।
- (iii). यह प्रस्ताव लाइसेंस करार में यथा शामिल पिछले 12 महीनों अथवा परिचालन के प्रथम वर्ष में परिचालन के महीनों की वास्तविक संख्या, जैसी भी स्थिति हो, के लिए कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि दर्शाते हुए परियोजना के रियायत करार के अधीन नियुक्त स्वतंत्र अभियंता से प्रमाणपत्र के साथ इस प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iv). प्रस्ताव की प्राप्ति पर, यह प्राधिकरण प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर, 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 5 में यथा दिए गए कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि पर महापत्तन न्यास के विचार मांगेगा।
- (v). पिछले 12 महीनों में रियायत करार में यथा शामिल कार्यनिष्पादन मानकों को परिचालक द्वारा अर्जित नहीं किए जाने की स्थिति में, टीएएमपी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और लाइसेंसधारी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू केवल सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क के लिए ही हकदार होगा।
- (vi). महापत्तन न्यास की राय पर विचार करने के बाद, यदि टीएएमपी संतुष्ट होता है कि रियायत करार में यथा शामिल किए गए कार्यनिष्पादन मानक अर्जित कर लिए गए हैं, यह आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 15 मार्च तक कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क अधिसूचित करेगा।

- (vii). कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार करते हुए, टीएमपी कार्यनिष्पादन मानकों और परिचालक द्वारा इसके अनुपालन किए जाने का ध्यान रखेगा। टीएमपी परिचालक द्वारा कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि अथवा अन्यथा के आधार पर कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा खारिज किए जाने पर निर्णय करेगा। सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क का निर्धारण 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के साथ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गए उदाहरण का अनुसरण करेगा।
- (viii). परिचालन के तीसरे वर्ष से, लाइसेंसधारी से कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव स्वतंत्र अभियंता द्वारा यथा प्रमाणित पिछले 12 महीनों की अवधि में कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन टीएमपी द्वारा स्वतः अधिसूचित किया जाएगा। लाइसेंसधारी, तीसरे वर्ष से आगे के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क के लिए, स्वतंत्र अभियंता से उपलब्धि प्रमाणपत्र के साथ कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क प्रस्ताव 1 मार्च तक प्रस्तुत करेगा और टीएमपी आगामी वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने वाले कार्यनिष्पादन संबंधित प्रशुल्क को 20 मार्च तक अधिसूचित करेगा।

अनुबंध-II**कार्यनिष्पादन मानक**

क्र.सं.	पैरामीटर	कार्यनिष्पादन मानक
1	सकल बर्थ आउटपुट (टन प्रतिदिन)	
	उर्वरक	25000 टन/दिन
	खाद्यान्न	20000 टन/दिन
2	अंतरण भंडारण विराम समय (बल्क)	
	आयात-उर्वरक	20 दिन
	आयात-खाद्यान्न	05 दिन
	निर्यात – सभी कार्गो	15 दिन
3	प्राप्ति/डिलीवरी परिचालन के लिए वापसी समय	
क.	पोटाश का म्यूरेट, यूरिया, डीएपी आदि सहित उर्वरकों हेतु रैक (दोगुना परिचालन) (6 रैक)	06 घंटे प्रति प्रत्येक रैक लदाई परिचालन (रैक पूर्व तथा पश्चात लदाई परिचालन सहित)
ख.	प्राप्ति/डिलीवरी परिचालन के लिए वापसी समय – खाद्यान्न	
	(i) परंपरागत कार्गो के लिए ट्रक (एकल परिचालन)	04 घंटे
	(ii) परंपरागत कार्गो के लिए ट्रक (दोगुना परिचालन)	08 घंटे
	(i) शुष्क बल्क कार्गो के लिए रैक (एकल परिचालन)	10 घंटे
	(ii) शुष्क बल्क कार्गो के लिए रैक (दोगुना परिचालन)	18 घंटे

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 19 May, 2021

No. TAMP/29/2021-DPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Deendayal Port Trust for fixation of Reference tariff for Development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No.14 on DBOT basis under PPP mode at Deendayal Port as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**Case No. TAMP/29/2021-DPT****Deendayal Port Trust**

Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 13th day of May 2021)

This case relates to the proposal received from the Deendayal Port Trust (DPT) for fixation of Reference tariff for Development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No.14 on DBOT basis under PPP mode at Deendayal Port.

2.1. The DPT vide its letter dated 23 March 2021 had earlier submitted a proposal on the above subject. Since there were information gaps which are brought out herein below in the earlier proposal dated 23 March 2021, the DPT was requested vide our letter No.TAMP/21/2021-DPT dated 5 April 2021 to file a fresh proposal alongwith the information/ clarification sought by us.

2.2. Accordingly, the DPT, vide its email dated 28 April 2021 under cover of its letter No.MS/WK/4030-IV/PPP(Tariff)/Gim-356 dated 28 April 2021, has filed a fresh proposal and has also furnished the information/ clarification sought by us.

2.3. The main points relevant to the current DPT proposal on which clarification was sought from the DPT with respect to its earlier proposal dated 23 March 2021 and the clarification of DPT thereon vide its letter dated 28 April 2021 are tabulated below:

Sr. No.	Information/ clarification sought by us	Reply of DPT thereon
(i).	DPT to satisfy itself whether tariff fixed 11 years / 6 years ago would still will be valid for a new project, though the tariff is updated with indexation. Furnish confirmation in this regard.	With reference to observation “tariff fixed 11/6 Years ago” it is to clarify that, the Reference Tariff Guidelines 2013 does not restrict/ specify time period post approval of tariff for taking reference for other project.
(ii).	DPT to clarify as to how clean cargo i.e.Foodgrains proposed to be handled by the port can be handled in the same facility where the dusty cargo i.e. Fertilisers is handled through the proposed Mechanised Fertiliser handling facility.	Fertilizer is a seasonal cargo, i.e., not available round the year. Hence, during lean season period (Jan to April), the facility can be suitably used for Food-grain handling with ship unloader, hopper etc. for effective utilization as per the queries of the prospective bidders for the project. Also, during normal season, the facility can handle various types of fertilizers viz., urea, MOP, DAP and food-grains after purging & clean up activity of the system for cargo changeover.
(iii).	For handling of Foodgrains, the DPT has adopted Reference tariff approved by the Authority vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 wherein the tariff approved was using Harbour Mobile Crane. The current proposal envisages cargo handling through ship unloader, hopper and conveyor system. The DPT, therefore, to clarify as to how the tariff adopted for handling Food grain is apt for the proposed project.	The facility can be utilized to handle Food-grains with the proposed ship unloader, hopper etc. It is to clarify that mobile harbour crane and ship unloader are types of ship unloading equipment only. Also, food-grains handled through HMCs are discharged into trucks, dumpers via mobile hoppers only.
(iv).	For fertilizer, the DPT has adopted upfront tariff approved by the Authority in Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 for mechanised fertiliser handling facility at	Now tariff for Cargo handling charges and storage charges has been proposed and adopted as per tariff Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010.

	Visakhapatnam Port Trust (VPT). Subsequently, based on the proposal of the VPT, the Authority has approved revised Schedule 2 and 3 i.e. Cargo Handling Charges and Storage Charges respectively vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010 replacing the schedule no. 2 and 3 approved vide Order dated 27 November 2009. In the light of the above position, the DPT, to review the proposed cargo handling charges for fertilizer, bagging and stitching service charges and storage charges adopted by the port from the said November 2009 Order.							
(v).	The DPT has adopted the upfront tariff for Fertilisers approved in the VPT Order dated 27 November 2009 where the handling rate for Fertilisers considered to arrive at the tariff for Fertiliser is 25000 T/day (it is the same in the revised Order dated 31 March 2010). As against that, the Performance Standards for Gross Berth Output for Fertiliser proposed by DPT is as tabulated below: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gross Berth Output</th><th>Performance Standard (tonnes per day)</th><th>Remarks of port</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fertiliser</td><td>20880 T/Day</td><td> Rake Capacity 3480 T, No. of Rakes Handled per day 06 = 3480 *6= 20880 T/day 6 Rakes will load in one day when 2 rakes will load simultaneously on either side of the Godown. For one railway siding 3 rakes will load. For one single stream 10440 TPD. </td></tr> </tbody> </table> The reason/justification furnished by the DPT for proposed Performance Standards at 20880 T/day is with respect to loading of cargo per day onto the rakes. Whereas the Gross Berth Output is with reference to the performance standard for handling fertiliser from ship to shore using the ship side equipment. In view of above and since port has adopted tariff for handling of Fertiliser from VPT Order dated 27 November 2009, the proposed performance standard must also be in tandem with the adopted order. The DPT, therefore, to furnish revised Performance Standard for Gross Berth Output for Fertiliser in tandem with the performance / output norms considered in the upfront tariff fixed in the adopted order.	Gross Berth Output	Performance Standard (tonnes per day)	Remarks of port	Fertiliser	20880 T/Day	Rake Capacity 3480 T, No. of Rakes Handled per day 06 = 3480 *6= 20880 T/day 6 Rakes will load in one day when 2 rakes will load simultaneously on either side of the Godown. For one railway siding 3 rakes will load. For one single stream 10440 TPD.	Now, the performance standards for Gross berth output for “fertilizers” is revised to 25000 Tons/day in line with the Tariff Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 notified vide Gazette No.251 dated 18 December 2009 read with amendment Order for bagging and stitching service to include the labour charge vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010 notified vide Gazette No.138 dated 30 April 2010.
Gross Berth Output	Performance Standard (tonnes per day)	Remarks of port						
Fertiliser	20880 T/Day	Rake Capacity 3480 T, No. of Rakes Handled per day 06 = 3480 *6= 20880 T/day 6 Rakes will load in one day when 2 rakes will load simultaneously on either side of the Godown. For one railway siding 3 rakes will load. For one single stream 10440 TPD.						
(vi).	The DPT has considered indexation factor upto the year 2020-21 to arrive at the proposed indexed reference tariff. Since the annual indexation factor for the year 2021-22 is approved by the Authority	As suggested, indexation factor, duly approved by TAMP for the year 2021-22 has now been incorporated. As such the aforesaid indexation (0.33%) is the 60%						

	which has been communicated to Major Port Trusts separately, the DPT to propose the reference tariff to capture the indexation factor for the year 2021-22 as well. Consequently, modify the General note in this regard to replace “January 2021” as base year for indexation with “January 2022” as the base year for annual indexation.	of variation in WPI occurred between 1 st Jan 2020 to 1 st Jan 2021, hence, the base year for next annual indexation will be January 2021.
--	--	--

3. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW), the then Ministry of Shipping (MOS), vide its letter No.PR-14019/16/2012-PG dated 31 July 2013 has issued ‘Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013’ under Section 111 of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963 on 09 and 12 September 2013. The said Guidelines were notified in the Gazette of India on 30 September 2013 vide Gazette no.254 and made effective from 9 September 2013 and valid for five years. The validity of the said Guidelines has been subsequently extended by the MOPSW beyond its expiry from time to time and the validity of the said Guidelines last extended by the MOPSW till 8 September 2021 was notified by this Authority vide Gazette No.153 dated 12 April 2021.

4.1. Following the provisions of said Reference Tariff Guidelines of 2013, the DPT has filed its current proposal. The main submissions made by the DPT in its proposal dated 28 April 2021 for its proposed project of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No.14 are summarized below:

- (i). Board of Deendayal Port Trust (DPT) has approved the proposal of Development of Mechanized Fertiliser Handling Facility at Kandla on DBOT basis along with Feasibility Report & SFC Memorandum, which are being sent to the Ministry for approval.
- (ii). The SFC has given the In-Principal approval to the proposal and it is proposed that parallelly the proposal for tariff should also be sent to TAMP for approval.
- (iii). The Tariff proposal for the proposed project has been framed as per the Revised Guidelines for determination of Tariff for Projects at Major Ports 2013 containing the proposed “Reference Tariff” and “Performance Standards”.
- (iv). In order to cater to the future growth in Fertilizer and clean cargo i.e. Food grains, the DPT has decided to undertake Development of Mechanized Fertilizer Handling Facility on DBOT basis through Public Private Participation (PPP) on Design, Build, Operate and Transfer (DBOT) basis. [The DPT has furnished the Layout of the Project].
- (v). The proposed facility shall be used for handling all kinds of fertilizer cargo viz. DAP, MOP, Urea, etc. & other clean cargo. Clean cargo refers to cargos which are non-polluting in nature. Clean cargos viz. food grains like wheat, rice & maize; fertilizers etc. may be suitably handled via ship unloader & hoppers/ conveyer of the facility.
- (vi). The berth is designed for handling vessels of 75000 DWT and up to 13.5 m draft.
- (vii). The total estimated cost of the project is ₹300.28 Crores.
- (viii). Optimal Capacity of the Project is 5.33 MMTA.
- (ix). The total Back up area proposed for the project is 267000 SQM including storage shed, and Bagging & Stitching shed with Rake loading facility on either side of the shed & the development of back up area would also comprise of the development of bagging plant and storage shed.
- (x). As per clause 2.2 of the revised Reference Tariff Guidelines(RTG) of 2013, the Reference Tariff will be the highest tariff fixed for that commodity in the concerned major Port Trust under the 2008 Tariff Guidelines.

DPT has got approved Reference Tariff vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015, G.No.376 notified on 19 November 2015 for 13th to 16th Multipurpose Cargo (other than Container/Liquid) berths on BOT basis.

Hence, the same Tariff for Food Grains has been considered in this project. Approved tariff for Foodgrains in the aforesaid notification has been escalated by 7.49% i.e. approved escalation by TAMP till March 2022 for the tariffs approved with base WPI as on 1st January 2015.

- (xi). As per clause 2.4 of RTG 2013, in case no tariff has been fixed for a particular commodity in a particular Major Port Trust under the 2008 Guidelines, then TAMP will notify the highest Tariff

under the 2008 Guidelines available for that commodity in the nearest Major Port Trust.

Visakhapatnam Port Trust has got Upfront Tariff for Mechanized fertilizers handling facilities approved vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 notified vide Gazette No.251 dated 18 December 2009 read with amendment Order for bagging and stitching service to include the labour charge vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010 notified vide G.No.138 dated 30 April 2010 for Mechanized Fertilizer Handling facilities.

Hence for the proposed project, the said upfront tariff of Vishakhapatnam Port Trust has been considered for (a). Cargo Handling for fertilizer (b). Bagging and Stitching Service(c). Storage Charges (d). Miscellaneous Charges.

Approved Tariff in the aforesaid notification has been escalated by 35.41% as per approved escalation by TAMP till March 2022 for the tariffs approved in with base WPI as on 1st January 2009.

- (xii). Both the facilities, i.e., VPT and the subject project facility for which current tariff has been adopted are similar in nature. The proposed facility will be handling exactly same type of commodities i.e. Fertilizer.
- (xiii). Based on above, the upfront tariff adopted for food grains from the DPT Order dated 22 December 2015 and for Fertilizer from VPT Order dated 27 November 2009 are representative enough for the proposed project of Mechanization of Fertilizer.
- (xiv). The DPT has furnished proposed Scale of Rates for its proposed Mechanized fertilizer handling facility at berth no.14 at DPT.
- (xv). The DPT has also proposed Performance Standards as given tabulated below:

S. No.	Parameter	Performance Standard (Tonnes per day)
1.	Gross Berth Output	
	Fertilizer	25000 T/Day
	Food Grains	20000 T/Day
2.	Transit Storage Dwell Time (Bulk)	
	Import -Fertilizer	20 Days
	Import- Food Grain	05 days
3.	Turnaround Time for receipt / delivery operation	
	Rake for fertilizers including Muriate of Potash, Urea, DAP etc. (Double operation) (6 Rakes)	06 Hours per each rake loading operations (including rake pre & post loading operations)

4.2. The DPT vide its e-mail dated 26 March 2021 has furnished a copy of Board Resolution No.33 dated 25 June 2020 wherein the Board has, inter alia, authorized the Chairman, DPT to approve (i).draft Reference Tariffs (ii).Clarification to Queries/observations of TAMP and forward the same to TAMP in case of proposed Mechanised Fertiliser handling facility at Berth No.14.

4.3. The DPT vide its email dated 05 May 2021 proposed to include free period for export cargo along with relevant conditionalities in the handling and storage charges. Subsequently, the DPT has again filed a final revised proposal dated 06 May 2021 proposing some amendments in its earlier proposed SOR and performance Standards as summarized below:

- (i). The earlier proposal did not propose free period for export cargo. The DPT has now proposed 15 days free period for storage of export cargo.
- (ii). Consequent to above, the port has included a note no.(ii) under the composite handling charges listing the services covered under the composite handling charge for export operations. The earlier proposal proposed note (i) was only as regards services covered in the composite handling rate for import operations.
- (iii). The port has also suitably included relevant conditionalities as regards calculation of free period

proposed for export cargo.

- (iv). The port has revised the proposed Performance Standards for Transit Storage Dwell Time. The performance standards proposed by the DPT in its earlier proposal vis-à-vis the revised proposal is tabulated below:

Sl. No.	Parameters	Performance Standards proposed in its original proposal 28.4.2021	Revised proposed Performance Standards vide its email dated 6.5.2021	Reference/ justification furnished by DPT in its final revised proposal by email dated 6.5.2021
1.	Gross Berth Output	(Tonnes per day)	(Tonnes per day)	
	Fertilizer	25000 T/Day	25000 T/Day	Order No.TAMP/26/2009-VPT Dated 27-Nov-2009, G. No.251 Date of Notification 18 Dec. 2009.
	Food Grains	20000 T/Day	20000 T/Day	Order No.TAMP/48/2015-KPT order Date 22.Sep.2015, G.No 376 Date of Notification 19 Nov. 2015.
2.	Transit Storage Dwell Time (Bulk)	In Days	In Days	
(a).	Import –Fertilizer	20 days	20 Days	As per actual scenario at Port based on several factors like availability of rakes, nature & type of fertilizer, logistics limitations etc.
(b).	Import- Food Grain	5 days	61 days (56 days plus 5 days of free period)	Transit storage dwell time” for import cargo (5 days) and export cargo (15 days) was at par with the corresponding free period. However, as per the tariff Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 (page no.26- viii – Tariff Calculation for storage charges) significant quantum of cargo is getting evacuated after 8th week i.e. 56 days after free period. Considering this the performance standard for the “Transit storage dwell time” for import food grains is revised and for export cargo, performance standards is included now.
(c).	Export-All types of Cargo		71 days (56 days plus 15 days of free period)	
3.	Turnaround Time for receipt/ delivery operation			
(a).	Rake for fertilizers including Muriate of Potash, Urea, DAP etc. (Double operation) (6 Rakes)	06 Hours	06 Hours	06 Hours loading operations (including rake pre & post loading operations)
(b).	Turnaround Time for receipt/ delivery			

	operation – Food Grains			
	(i) Truck for conventional cargo (Single operation)	-	04 hours	Order Dated 22-Sep-2015 G.No.376 Date of Notification 19 Nov. 2015 and Model Concession Agreement) (Reference-Order No.TAMP/48/2015-KPT)
	(ii) Truck for conventional cargo (Double operation)	-	08 hours	
	(i) Rake for dry bulk cargo (Single operation)	-	10 hours	
	(ii) Rake for dry bulk cargo (Double operation)	-	18 hours	

4.4. The DPT has also clarified that the upfront tariff for 13th to 16th Multipurpose cargo berths approved by this Authority vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 is for conventional handling of all cargo. But, the proposed facility is specifically for mechanized handling of fertilizer and clean cargo viz. all types of food grains. Therefore, there is a need to fix tariff for the proposed project for Mechanized handling facility. The port has confirmed that the berth is with DPT and not allotted to any user on PPP basis.

5.1. Thus, to summarise, the DPT has adopted the Reference tariff approved by this Authority for handling multipurpose cargo at berth nos.13 to 16 vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 in respect of handling charge for Foodgrains; Miscellaneous charge from the upfront tariff Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 for Visakhapatnam Port Trust (VPT) for mechanized fertilizer handling facility and; for Fertiliser handling charges, charges for Bagging and stitching service and Storage charge, the port has proposed to adopt the upfront tariff approved by this Authority vide tariff amendment Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010 to the original upfront tariff Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 for VPT.

5.2. A comparison of the upfront tariff for handling charges of Fertilisers, charges for Bagging and Stitching service charges, Storage charges approved by this Authority vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010, Miscellaneous charge approved vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 and cargo handling charges for Foodgrains approved vide DPT Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 vis-à-vis the indexed reference tariff proposed by the DPT after applying the applicable annual indexation factor in final revised proposal dated 06 May 2021 is given below:

Particulars	Cargo handling charges for Fertilisers, Bagging and Stitching service, Storage charges approved vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31.3.2010; handling charges for Foodgrains approved vide DPT Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 and Miscellaneous charge approved vide VPT Order No.TAMP/26/2009-VPT dtd. 27.11.2009		Reference tariff proposed by the DPT in the final revised DPT proposal dated 06 May 2021 after applying applicable indexation factor	
			Proposed Berth No.14	Proposed Performance Standards for Berth No.14
Type of Cargo	Handling charge (in ₹)	Handling Rate	Handling charge (in ₹)	Gross Berth Output
A. Cargo Handling Charge (Excluding bagging and Stitching services)	F C		F C	
(i). Finished Fertilisers including Muriate of Potash,	126.55 75.93	25000 T/day		

Urea, DAP, etc. (ii). Foodgrains	141.74 85.04	20000 T/day	171.37 102.82 152.36 91.41	25000 T/day 20000 T/day
B. Charges for Bagging and Stitching service (Per MT)	F C 110.53 110.53	-	F C 149.67 149.67	-
Miscellaneous Charges	1.30 per tonne	-	1.76 per tonne	-
C. Storage Charge beyond free period (₹ /MT/Day)		-		Transit Storage Dwell Time (Bulk) (i). Import – Fertiliser 20 days (ii). Import – Food Grains 61 days (iii). Export – 71 days All cargo
(i). First five days after expiry of free period (Free period for Import Fertiliser 05 days)	1.30		1.76	
(ii). 6 th day to 10 th day after expiry of free period	3.90		5.28	
(iii). Beyond 10 th day	6.50		8.80	
	--	--	--	Turnaround Time for receipt/ delivery operation Rake for fertilisers including Muriate of Potash, Urea, DAP, etc.(Double operation)(06 Rakes) – 06 Hours per each rake loading operations (including rake pre & post loading operations)
	--	--	--	Turnaround Time for receipt/ delivery operation- Food Grains (i). Truck for conventional 04 hours cargo (Single operation) (ii). Truck for conventional 08 hours cargo (Double operation) (iii). Rake for dry bulk cargo 10 hours (Single operation) (iv). Rake for dry bulk cargo 18 hours (Double operation)

6. Since the proposal of DPT is an adoption case adopting the upfront tariff for Mechanised fertilizer handling facilities approved vide VPT Order dated 27 November 2009 read with amendment Order dated 31 March 2010 and Reference tariff for Foodgrains approved vide DPT Order dated 22 September 2015 which was based on consultation with stakeholders and also recognising that the Tariff Guidelines of 2013 require the reference tariff and the Performance Standards to be fixed within 15 days, the said proposal was not taken up for consultation in line with the approach followed in the other reference tariff cases on adoption basis.

7. With reference to the totality of the information collected, the following points emerges:

- (i). The proposal of the Deendayal Port Trust (DPT) is for fixation of Reference Tariff for development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No.14 on Design, Build, Operate, Transfer (DBOT) basis under Public Private Participation (PPP) mode at DPT.

The DPT proposes to handle Finished Fertilisers including Muriate of Potash, Urea, DAP, etc. as well as foodgrains in the proposed berth No.14. The port has clarified that fertilizer is a seasonal cargo, i.e., not available round the year. Hence, during lean season period (Jan to April), the facility can be suitably used for food-grain handling with ship unloader, hopper etc. for effective utilization as per the queries of the prospective bidders for the project. Further, even during normal season, the port has confirmed that the proposed facility can be utilized to handle finished fertilizers and food-grains after purging & clean up activity of the system for cargo changeover. Thus, based on the clarification given by the port, this Authority proceeds to decide on the proposal of the port.

The original proposal of the DPT dated 28 April 2021 did not envisage export cargo handling. In the final revised proposal dated 06 May 2021, the port has proposed to cover export cargo by including relevant conditionality under the schedule of composite handling rate, proposed free period for export cargo along with relevant conditionalities and has also proposed revised Performance Standards. The final revised proposal of DPT dated 06 May 2021 along with the information/ clarification furnished by the port during the processing of the case are considered.

- (ii). The proposal of DPT seeks approval of Reference tariff for Development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No.14 at DPT adopting upfront tariff for cargo handling charges for Fertiliser handling charges, charges for Bagging and stitching services and Storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010 for mechanized fertilizer handling facility at VPT, reference tariff for handling of Foodgrains approved vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 for multipurpose cargo Berth Nos.13 to 16 at DPT and Miscellaneous charge is adopted from the original upfront tariff Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 of Visakhapatnam Port Trust (VPT) after applying the applicable indexation factor.

It is relevant here to state that this Authority had earlier approved upfront tariff for mechanized fertilizer handling facilities vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 following the upfront tariff guidelines of 2008. Subsequently, the VPT sought approval of supplementary tariff and review of storage charges prescribed in the said Order. Accordingly, this Authority has approved revised schedule 2 and 3 i.e. Cargo Handling Charges and Storage Charges respectively vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010 replacing the schedule no.2 and 3 approved in its earlier Order dated 27 November 2009. That being so, the DPT has adopted the rates for Finished Fertiliser handling, charges for Bagging and Stitching service and Storage charges from the said Order approved by this Authority dated 31 March 2010. The DPT has proposed to adopt Miscellaneous charge approved vide original Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 for VPT.

- (iii). As per Clause 2.2 of the Revised Tariff Guidelines of 2013, port has the option to adopt the highest upfront tariff fixed by this Authority for that commodity/ service in the concerned Major Port Trust under the upfront Tariff Guidelines of 2008. In case no tariff has been fixed for that commodity at the concerned Major Port Trust or the highest tariff fixed in the concerned major Port Trust do not represent the project proposed to be developed, then the port have the option to adopt highest upfront tariff fixed by this Authority in any other Major Port Trust which is representative enough for the commodity/ service envisaged in the project after giving detailed and sufficient justification.

In the current proposal for the proposed mechanized fertilizer handling facility, as stated earlier, the port has proposed to adopt the handling charges for finished fertilizer, charges for bagging and stitching services, storage charges and miscellaneous charges from the upfront tariff approved by this Authority for VPT for mechanized finished fertilizer and handling charges for Foodgrains is proposed to be adopted from the reference tariff Order approved by this Authority under the reference tariff guidelines of 2013 in its own port vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015.

The Port has justified that VPT and the subject project facility for which current tariff has been adopted is similar in nature and the proposed facility will be handling exactly same type of commodities i.e. Fertilizer and clean cargo i.e. food grain and hence the upfront tariff adopted for Fertilizer from VPT Order dated 27 November 2009 read with amendment Order dated 31 March 2010 and reference tariff adopted for food grains from the DPT Order dated 22 September 2015 is representative enough for the proposed project of Mechanised Fertilizer handling facility at Berth No.14 at DPT. Thus, in short, the proposal of the DPT fits in the options prescribed in clause 2.2 of the Reference Tariff Guidelines, 2013.

In view of the above position and recognising that the upfront tariff approved by this Authority vide Order Nos.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 and dated 31 March 2010 and reference tariff approved by this Authority vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 are based on the norms and principles of the Upfront Tariff Guidelines of 2008/ Reference Tariff Guidelines of 2013 and the current proposal of the DPT is for adoption of the rates in the said Orders after indexation, it is in line with stipulation in the reference tariff guidelines, 2013. This Authority is, therefore, inclined to approve the proposal of the DPT for fixation of reference tariff

for Mechanized fertilizer handling facility at DPT.

- (iv). The Upfront Tariff schedule for mechanized fertilizer handling facility approved by this Authority vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 prescribes that the tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2009 and 1 January of the relevant year. Further, the Reference Tariff schedule for 13th to 16th Multipurpose cargo berths approved by this Authority vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015, prescribes that the tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2015 and 1 January of the relevant year.

Since the base year of WPI for indexation in the VPT Order dated 27 November 2009 is prescribed as 1 January 2009, the DPT has proposed indexed rate after applying cumulative indexation factor announced by this Authority for the base year as 1 January 2009 at 27.49% upto the year 2017-18 and subsequent annual indexation factor announced by this Authority at 2.07% for year 2018-19, 2.56% for year 2019-20, 1.13% for year 2020-21 and 0.33% for the year 2021-22 under the Upfront tariff Guidelines 2008. The aggregate of the above indexation factor comes to 1.354138 (i.e. $1.2749 * 1.0207 * 1.0256 * 1.0113 * 1.0033$). The indexed rate proposed by the DPT after applying the applicable indexation over the rates for handling of Fertilisers, charges for Bagging and Stitching service, Storage charges and Miscellaneous charge approved by this Authority with base year January 2009 is found to be in order and in line with clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2013.

Similarly, since the base year of WPI for indexation in the DPT Order dated 22 September 2015 is prescribed as 1 January 2015, the DPT has proposed indexed rate after applying annual indexation factor announced by this Authority for the base year as 1 January 2015 at Nil for the year 2016-17, 1.20% for the year 2017-18, 2.07%, 2.56%, 1.13% and 0.33% for the years 2018-19, 2019-20, 2020-21 and 2021-22 respectively under the revised Reference Tariff Guidelines, 2013. The aggregate of the above indexation factor comes to 1.07489 (i.e. $1.012 * 1.0207 * 1.0256 * 1.0113 * 1.0033$). The indexed rate proposed by DPT after applying the applicable indexation over the handling rate of Foodgrains approved by this Authority with base year January 2015 is found to be in order and in line with clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2013.

Therefore, the indexed reference tariff proposed by DPT as Reference tariff is approved.

- (v). The note proposed by DPT governing the indexation of reference tariff for future period is with reference to 01 January 2021. Since the annual indexation factor announced by this Authority for the year 2021-22 with reference to Wholesale Price Index (WPI) occurring between 01 January 2020 and 01 January 2021 is captured by the DPT, the indexation for future period will be with reference to 01 January 2021 and 01 January of the relevant year. Hence, the general note proposed by the DPT is in order.
- (vi). As stated earlier, in the final revised proposal, the port has proposed to include export handling operations. Consequent to that, the port has proposed to include a note no.(ii) under the composite handling charges listing the services covered under the composite handling charge for export operations. The proposed note is seen to have been adopted from the DPT Order dated 22 September 2015 and hence approved.
- (vii). The free period for storage of import cargo proposed at 5 days is at par with the adopted VPT Order dated 31 March 2010. As regards export cargo, the port has proposed 15 days free period from the adopted DPT Order dated 22 September 2015. The upfront tariff Guidelines for multipurpose cargo prescribes a norm that storage charges are to be levied for storage of cargoes at the transit area beyond allowable period of 5 days for import cargo and 15 days for export cargo. The proposal of the DPT is in tandem with the prescribed norms and adopted tariff Orders and hence is approved.

The port has also included the relevant conditionalities as regards calculation of free period for import and export cargo, storage charges not to accrue for the period the operator is not able to deliver/ ship the cargo when requested by users due to reasons attributable to the operator from the adopted Scale of Rates and are found to be in order and hence are approved as proposed by the DPT.

- (viii). Clause 2.2 of the revised tariff guidelines of 2013 requires this Authority to prescribe the Reference Tariff along with the Performance Standards.

As per Clause 2.9 of Reference Tariff 2013, the reference tariff shall be automatically indexed every year @ 60% of the WPI for the entire concession period. The prescription of performance standards under the Reference tariff guideline is to entitle the PPP operator to index the tariff upto 15% on achievement of prescribed performance standards from the second year of operation. Hence, the prescription of performance standard in the reference tariff guidelines is envisaged for Performance linked tariff on achievement of prescribed performance standards.

The Reference Tariff Guidelines 2013 do not stipulate the parameters for which the performance standards are to be prescribed. The port has proposed performance standards in terms of Gross berth output, Transit storage dwell time and Turnaround time for rakes and trucks. The performance standards proposed by DPT and approved by this Authority are explained below:

- (a). The DPT has proposed Performance Standards for gross berth day output at 25000 tonnes/day for Fertilisers. The proposed Performance Standards for Fertilisers is in tandem with the handling rate considered in the November 2009/ March 2010 of the VPT upfront tariff Order. The proposed performance standards for Foodgrains at 20,000 T/day is in line with the performance standards approved in the DPT Order dated 22 September 2015. The proposed performance standards for Gross berth output for its project at Berth No.14 at DPT are, therefore, approved.
- (b). As regards transit storage dwell time, the DPT in its earlier proposal dated 28 April 2021 had proposed 5 days for import food grains and 20 days for import fertilizer cargo. In the final revised proposal dated 06 May 2021, the port has revised the performance standards for transit dwell time for import food grains from 5 days to 61 days and has also included performance standard for all export cargo at 71 days. The comparative position is tabulated earlier and hence not reiterated for the sake of brevity.

The port has clarified that the performance standards for transit storage dwell time for import cargo at 5 days and export cargo at 15 days proposed earlier was at par with the corresponding free period. The port has attempted to justify the revised performance standards by referring to tariff calculation for storage charges considered in tariff Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 wherein, significant quantum of cargo is getting evacuated after 8th week i.e. 56 days after free period. Considering this, the port has revised the performance standard for the Transit storage dwell time for import food grains from 5 days to 61 days i.e. 56 days + 5 days free period and has included performance parameter for export cargo at 71 days i.e. 56 days + 15 days.

As regards, the tariff storage calculation referred by the port, it can be seen from para 13.1. and 13.2.(viii) of the Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 that the DPT had furnished the tariff calculation to meet the estimated ARR from storage charge for arriving at the proposed storage charge for berth nos.13th to 16th under the Reference tariff guidelines 2013. The various slabs given and the evacuation pattern considered therein by the DPT, is to ensure that at the proposed storage tariff, the estimated ARR from the storage charge are recoverable and neutral revenue position is maintained.

Land being a scarce resource need to be optimally utilized. That being so, the storage charges are prescribed in different slabs with increase in the storage tariff for higher slabs in all Ports including DPT. The proposal of the DPT to propose last but one slab (i.e. the 8th slab) as benchmark Performance Standards is not found appropriate for prescription as Performance Standards, when the upfront tariff guidelines prescribe norm for the allowable storage period of 5 days for import cargo and 15 days for export cargo for multipurpose berth. In none of the major ports including DPT, the highest slab captured in arriving at storage tariff is proposed by the port and approved by this Authority as performance standards for dwell time.

Even, in the adopted reference tariff Order dated 22 September 2015 of the DPT for 13th to 16th berth, the performance standards prescribed for the dwell time is 5 days for all import multipurpose cargo and 15 days for all export multipurpose cargo. The cargo profile includes food grain and fertilizer.

In view of the above position, this Authority prescribes the performance standards for transit storage dwell time for import food grains at 5 days and for all export cargo at 15 days.

As regards, transit storage dwell time for import fertilizer, the port has proposed 20 days citing that it is as per actual scenario at Port based on several factors like availability of rakes, nature & type of fertilizer, logistics. For fertilizer cargo, the adopted VPT Order do not prescribe performance standards as it was not mandated under the upfront tariff guidelines of 2008. In the absence of any prescribed norm for mechanised fertilizer handling facility in the upfront tariff guidelines 2008 and also recognising that the facility envisaged by the port in the proposed project includes bagging and stitching services for Fertiliser handling and for the reasons given by the port, the performance standards for transit storage dwell time for import fertilizer are prescribed at 20 days as proposed by the port.

- (c). As regards, performance standards for rake, the port has proposed 06 Hours per each rake loading operations (including rake pre & post loading operations). There are no prescribed norms for this parameter. The proposed performance standards for this parameter are approved.
- (d). As regards, performance standards for receipt and delivery operations, the Performance Standards proposed by the port are at par with the performance standards prescribed in the DPT Order dated 22 September 2015 and hence are approved.
- (ix). The definitions proposed by the DPT include definition of the terms “Month”, “TAMP” and “Tonne”. None of these terms are prescribed in the adopted upfront / reference tariff Orders. The term month is not used in the proposed SOR and hence need not prescribed. The definition of TAMP is also not required; hence not prescribed in the SOR. As regards “Tonne”, the port has defined it as one metric tonne or 1,000 kilograms or one cubic metre. Tonne which is a weight measurement is not equivalent to one cubic metre which is a volume measurement. The general SOR of DPT states for the purpose of calculating the dues, the unit by weight shall be 1 tonne or 1,000 kilograms, the unit by volume measurement shall be 1 cubic metre and the unit by capacity measurement for liquids in bulk shall be 1,000 litres. Further, since the proposed cargo is Bulk, the unit of levy in terms of cubic metre may not be relevant. Based on the above position, the definition of tonne is slightly modified to delete the words “or one cubic metre”.
- (x). **If there is any error apparent on the face of records considered or for any other justifiable reasons, the DPT may approach this Authority for review of the reference tariff fixed, prior to completion of bidding process of the project giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India.**

8.1. Subject to above, the Reference Tariff Schedule and the Performance Standards for Development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No.14 at DPT as proposed by the port are attached as **Annex-I** and **Annex-II** respectively.

8.2. In the result, and for the reasons given above, the proposed Reference Tariff Schedule for Development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No.14 at DPT are approved and notified along with the Performance Standards, which is attached as **Annex-I** and **Annex-II**.

8.3. As per clause 2.5 of the Revised Tariff Guidelines 2013, the Reference Tariff and Performance Standards notified by this Authority shall be mentioned in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects. Accordingly, the DPT is advised to incorporate the Reference Tariff and Performance Standards, in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects.

9.1. From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire concession period.

However, the PPP operator would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the “Performance Linked Tariff”) from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance

Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.

9.2. The proposal shall be submitted to this Authority along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the Concession Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation, as the case may be.

9.3. On receipt of the proposal, this Authority will seek the views of the DPT on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.

9.4. In the event of Operator not achieving the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement in previous 12 months, this Authority will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the Operator shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.

9.5. After considering the views of the DPT, if this Authority is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.

9.6. While considering the proposal for Performance Linked Tariff, this Authority will look into the Performance Standards and its adherence by the Operator. This Authority will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the operator. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013.

9.7. From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the PPP operator shall be automatically notified by this Authority subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The PPP operator, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and this Authority shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

9.8. In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the PPP operator of the Performance Standards as notified by this Authority, he may prefer a representation to this Authority which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and give its finding to DPT. The DPT will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the respective Concession Agreement.

9.9. Within 15 (fifteen) days of the signing of the Concession Agreement, the concerned operator will forward the Concession Agreement to this Authority which will host it on its website.

9.10. The PPP operator shall furnish to this Authority quarterly reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each berth. The quarterly reports shall be submitted by the PPP operator within a month following the end of each quarter. Any other information which may be required by this Authority shall also be furnished to them from time to time.

9.11. This Authority shall publish on its website all such information received from PPP operator. However, this Authority shall consider a request from any PPP operator about not publishing certain data/information furnished which may be commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/information in question and the likely adverse impact on their revenue/ operation of upon publication. The decision of this Authority in this regard would be final.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./89/2021-22]

Annex-I**REFERENCE TARIFF SCHEDULE FOR MECHANISED FERTILISER HANDLING FACILITY****AT BERTH NO.14 AT DPT****1. DEFINITIONS**

In this Scale of Rates unless the context otherwise required, the following definitions shall apply:

- (i). **“Coastal vessel”** shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the competent authority/ Director General of Shipping.
- (ii). **“Foreign-going vessel”** shall mean any vessel other than Coastal vessel.
- (iii). **“Per Day”** means per calendar day unless otherwise stated.
- (iv). A **Day** shall be reckoned as calendar day from **0800 hours to 0800 hours or part thereof** for the purpose of storage charges
- (v). **“Port”** shall mean Deendayal Port Trust.
- (vi). **“Tonne”** shall mean one metric tonne or 1,000 kilograms.

2. GENERAL TERMS & CONDITIONS

- (i). Interest on delayed payments / refunds:
 - (a). The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.
 - (b). The rate of penal interest will be 2% above the Prime Lending Rate of the State Bank of India.
 - (c). The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
 - (d). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the Terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in this Scale of Rates.
- (ii). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (iii). Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the terminal operator.
- (iv). The status of the Vessel as borne out by its certification by the Customs or Director General of Shipping is the relevant factor to decide whether vessel is “Coastal” or foreign-going” for the purpose of levy of Berth hire, and the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this propose.
- (v). Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate
 - (a). Foreign going Indian Vessel having General Trading License issued for ‘worldwide and coastal’ operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:
 - (i). Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - (ii). Not converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

* The Central Board of Excise and Customs Circular no.15/2002-Cus. dated 25 February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian port to another port in India, in Indian flag foreign going vessels without any custom conversion.
 - (b). In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a License for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom

Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo.

- (vi). (a). The cargo related charges for all coastal cargo should not exceed 60% of the normal cargo related charges.
- (b). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer and transfer from/to quay including wharfage.
- (c). Cargo from a foreign port which reaches an Indian Port "A" for subsequent transshipment to Indian Port "B" will be levied the concession charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from/to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (d). The charges for coastal cargo / vessels shall be denominated and collected in Indian rupee.
- (vii). The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels: likewise, rebates and discounts are floor levels. The terminal operator may, if it so desires, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.

The terminal Operator may also, if it so desires rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.

The terminal Operator should, however, notify the public such lower rates and/ or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and / or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.

- (viii). In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto and inclusive 0.5 shall be taken as 0.5 unit and fractions of above 0.5 shall be treated as one unit, except where otherwise specified.

3. Schedule of Cargo Handling Charges:

A. (i). Composite Mechanized Handling Charge (excluding bagging and stitching service)

(₹ Per MT)

Description / Cargo	Foreign	Coastal
Finished Fertilizers including Muriate of potash, Urea, DAP etc.	171.37	102.82

(ii). Cargo Handling charges (excluding bagging and stitching service):

(₹ Per MT)

Description / Cargo	Foreign	Coastal
Food Grains	152.36	91.41

Note:

- (i). The handling charges prescribed above is a composite charge for unloading of the cargo from the vessel including stevedoring and transfer of the same up to the point of storage, storage at the stackyard/ silos up to a free period of 5 days, and loading on to trucks / railway wagons in respect of import cargo; and

unloading of the cargo from the trucks at the stackyard, storage at the stackyard upto a period of 15 days, transfer the cargo to the loading point and loading onto the ship including stevedoring in respect of export cargo. This composite charge includes wharfage

and supply of labour, wherever necessary and all other miscellaneous charges not specifically prescribed in the Scale of Rates.

B. Charges for Bagging and Stitching Service:

(₹ Per MT)

Description / Cargo	Foreign	Coastal
Finished Fertilizers including Muriate of potash, Urea, DAP etc.	149.67	149.67

Note:

The charges prescribed above are applicable only for cargo handed at the bagging plant and cover bagging and stitching service, labour cost for carrying of bags from conveyor/ chute to stacking area, Destacking from platform, carrying to wagons and loading the assigned number of bags into wagons and sealing of wagons, cleaning of wagons, lining the wagon floor with dunnage plus other allied services.

4. Storage Charges

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below:

(A) Free period

Import Cargo : 5 days free

Export Cargo : 15 days free

(B) Storage charges after free period

(per ton / per day)

Sl. No.	Description	(₹)
01	First five days after expiry of free period	1.76
02	6th day to 10th day after expiry of free period	5.28
03	Beyond 10th day	8.80

Notes:

- (v) Five free days for import cargo and fifteen free days for export cargo shall be allowed for the purpose of calculation of free period.
- (vi) For the purpose of calculation of free period Customs notified holidays and Terminal's nonworking days shall be excluded.
- (vii) (a). Free period for import cargo shall be reckoned from the day following the day of completion of final discharge from the vessel.
- (b). free period for exports shall commence from the date on which the cargo is brought in the transit/ port area. The storage charge will cease from the day following the date of berthing of vessel.
- (viii) Storage charge on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the terminal operator.

5. Miscellaneous Charges

₹1.76 per tonne is a composite charge for all miscellaneous services such as fumigation, cargo security etc.

6. GENERAL NOTE :

- (i). The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2021 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.
- (ii). From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire license period.

However, the Licensee would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the "Performance Linked Tariff") from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.

- (iii). The proposal shall be submitted to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the License Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.
- (iv). On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the Major Port Trust on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.
- (v). In the event of Licensee not achieving the Performance Standards as incorporated in the License Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the Licensee shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.
- (vi). After considering the views of the Major Port Trust, if TAMP is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.
- (vii). While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standards and its adherence by the Licensee. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the Licensee. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013.
- (viii). From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the Licensee shall be automatically notified by TAMP subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The Licensee, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and TAMP shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

Annex-II

Performance Standards

Sl. No.	Parameter	Performance Standard
1	Gross Berth Output (Tonnes per day)	
	Fertilizer	25000 T/Day
	Food Grains	20000 T/Day

2	Transit Storage Dwell Time (Bulk)	
	Import -Fertilizer	20 Days
	Import- Food Grains	05 days
	Export - all cargo	15 days
3	Turnaround Time for receipt / delivery operation	
a.	Rake for Fertilizers including Muriate of Potash, Urea, DAP etc. (Double operation) (6 Rakes)	06 Hours per each rake loading operations (including rake pre & post loading operations)
b.	Turnaround Time for receipt/ delivery operation- Food Grains	
	(iii) Truck for conventional cargo (Single operation)	04 hours
	(iv) Truck for conventional cargo (Double operation)	08 hours
	(iii) Rake for dry bulk cargo (Single operation)	10 hours
	(iv) Rake for dry bulk cargo (Double operation)	18 hours